

भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3 (III) के असाधारण अंक में
दिनांक 14 मार्च, 2022 को प्रकाशनार्थ
जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के राजपत्र के असाधारण
अंक में दिनांक 14 मार्च, 2022 को प्रकाशनार्थ

परिसीमन आयोग

अशोक होटल, 50-बी, नीति मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

सं. 282/ जेएंडके /2022(खण्ड-II)

दिनांक: 14 मार्च, 2022


23 फाल्गुन, 1943 (शक्)

आदेश सं.-1

परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 8 के साथ पठित जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 14(4), 60(1) एवं 62 के अनुसरण में तथा इस संबंध में सभी अन्य संबद्ध संवैधानिक तथा सांविधिक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए परिसीमन आयोग एतद्वारा निम्नलिखित अवधारित करता है:

- लोक सभा में जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित की जाने वाली सीटों की कुल संख्या पांच (5);
- लोक सभा में जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को इस प्रकार आबंटित कुल पांच (5) सीटों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या क्रमशः शून्य (0) और शून्य (0);
- जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा को निर्दिष्ट की जाने वाली सीटों की कुल संख्या नब्बे (90);
- जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा को इस प्रकार निर्दिष्ट कुल नब्बे (90) सीटों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या क्रमशः सात (7) और नौ (9)।

आदेश से,



(के.एन. भार)

सचिव

भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3 (III) के असाधारण अंक में
दिनांक 14 मार्च, 2022 को प्रकाशनार्थ
जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के राजपत्र के असाधारण
अंक में दिनांक 14 मार्च, 2022 को प्रकाशनार्थ

परिसीमन आयोग

अशोक होटल, 50-बी, नीति मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

सं. 282/ जेएंडके /2022(खण्ड-II)

दिनांक: 14 मार्च, 2022

23 फाल्गुन, 1943 (शक)

अधिसूचना

परिसीमन अधिनियम, 2022 की धारा 9 की उप-धारा 2 के साथ पठित जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 60 की उप-धारा (5) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग एतद्वारा सहयुक्त (एसोसिएट) सदस्यों के विसम्मत् प्रस्तावों के साथ जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपने प्रस्ताव प्रकाशित करता है और 21 मार्च, 2022 (सोमवार) को ऐसी तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसको अथवा जिसके उपरांत इन प्रस्तावों पर इसके द्वारा आगे और विचार किया जाएगा।

2. इन प्रस्तावों के संबंध में कोई भी आपत्ति अथवा सुझाव उक्त तारीख को अथवा उससे पहले सचिव, परिसीमन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 के पास पहुंच जाने चाहिए।

प्रस्ताव

- प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें (क) संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा और (ख) लोक सभा हेतु निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को विभाजित किया जाएगा, ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार तथा निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं, को क्रमशः तालिका-क और तालिका-ख में दर्शाया जाएगा;
- जहां तालिका क अथवा तालिका ख में यथा प्रदर्शित निर्वाचन क्षेत्र के नाम में कोष्ठकों और शब्दों (एससी) द्वारा भेद दिखाया गया है, उस निर्वाचन क्षेत्र में वह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है;
- जहां तालिका क अथवा तालिका ख में यथाप्रदर्शित निर्वाचन क्षेत्र के नाम में कोष्ठकों और शब्दों (एसटी) द्वारा भेद दिखाया गया है, उस निर्वाचन क्षेत्र में वह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है।

(यहां संबद्ध सामग्री मुद्रित करें)

आदेश से,

(के.एन. भार)

सचिव

तालिका-क		
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और उनका प्रस्तावित विस्तार		
क्र. सं.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	विस्तार
1-जिला: कुपवाड़ा		
1	करनाह	करनाह तहसील और करालपुरा तहसील (भाग) - गुंदीजोनारेशी और पंजगाम पटवार सर्किल
2	त्रेहगम	त्रेहगम और केरन तहसील, करालपुरा तहसील (भाग) - गुंदीजोनारेशी और पंजगाम पटवार सर्किल तथा कुपवाड़ा तहसील (भाग) - 3- गुलगाम और अवूरा पटवार सर्किल
3	कुपवाड़ा	कुपवाड़ा तहसील (भाग) - 3-गुलगाम और 4-अवूरा पटवार सर्किल को छोड़कर
4	लोलाब	सोगाम (लोलाब), लालपोरा और माचिल तहसील
5	हंदवाड़ा	विलगाम, दृगमुल्ला, जचालदारा और तरतपोरा (रामहल) तहसील और हंदवाड़ा (भाग) - बकड़याकैर, हंदवाड़ा, शोघापोरा, वाडीपोरा, सिराजापुरा और बड़कोट माछीपुरा पटवार सर्किल
6	लंगेट	काज़ियाबाद (क्रालागुंड), लंगेट और कलामाबाद तहसील और हंदवाड़ा (भाग) - बकड़याकैर, हंदवाड़ा, शोघापोरा, वाडीपोरा, सिराजापोरा और बड़कोट माछीपुरा पटवार सर्किल को छोड़कर।
2-जिला: बारामूला		
7	सोपोर	सोपोर और डंगरपोरा तहसीलें
8	रोहामा राफियाबाद	जैंगर, वातेरगाम, रोहामा और डांगीवाचा तहसीलें
9	उरी	उरी और बोनियार तहसीलें
10	बारामूला	नरवाव और बारामूला तहसीलें
11	तंगमर्ग	तंगमर्ग, वागूरा, क्रीरी और खोले तहसीलें
12	कुंजर	क्वारहामा और कुंजर तहसील, पत्तन तहसील (भाग) - 6- वानीगम पाईन, 7- वानीगम बाला, 8-तिलगाम और 9- टैपर वारीपोरा पटवार सर्किल ।
13	पत्तन	सिंगपोरा तहसील और पत्तन तहसील (भाग) - 6- वानीगम पाईन, 7- वानीगम बाला, 8-तिलगाम और 9- टैपर वारीपोरा पटवार सर्किल को छोड़कर।
3-जिला: बांदीपोरा		
14	सोनावरी	सोनावरी तहसील, सुंबल नगर पालिका 2 (शहरी स्थानीय निकाय), अजास तहसील, हाजिन तहसील और हाजिन नगर पालिका 3 (शहरी स्थानीय निकाय)।
15	बांदीपोरा	अलूसा और बांदीपोरा तहसीलें और बांदीपोरा नगर पालिका 1 (शहरी स्थानीय निकाय)।
16	गुरेज(अजजा)	गुरेज और तुलैल तहसीलें।

4-जिला: गंदेरबल		
17	कंगन (अजजा)	कंगन और गुंड तहसीलें, वन ब्लॉक कंगनी गुंड और लार तहसील (भाग) - वाटलर पटवार सर्किल ।
18	गंदेरबल	तुलमुल्ला (खीर भवानी), वकूरा और गंदेरबल तहसीलें और लार तहसील (भाग) - वाटलर पटवार सर्किल को छोड़कर।
5-जिला: श्रीनगर		
19	हजरतबल	उत्तर श्रीनगर तहसील।
20	खानयार	खानयार तहसील (भाग) - 9 - एस.आर. गंज और 10- बराड़ी नंबल पटवार सर्किल को छोड़कर।
21	हबाकादल	दक्षिण श्रीनगर (भाग) - 1-सोनावर, 2- मैसूमा, 4- शिवपोरा, 5- कुर्सू पदशाही बाग, 9- नौरसिंह गढ़ और 10- बरजुल्ला पटवार सर्किल और खानयार तहसील (भाग) को छोड़कर - 9 - एस.आर. गंज और 10- बराड़ी नंबल पटवार सर्किलों को छोड़कर ।
22	सोनवर	पंथा चौक तहसील और दक्षिण श्रीनगर तहसील (भाग) - 1- सोनावर, 2- मैसूमा, 4- शिवपोरा, 5- कुर्सू पदशाही बाग, 9- नौरसिंह गढ़ और 10- बरजुल्ला पटवार सर्किलें ।
23	चानापोरा	चानापोरा तहसील।
24	जूनीमार	ईदगाह तहसील (भाग) - 1- बुचपोरा, 2- उमरहेयर, 3- जूनीमार, 4- ओवांता बावन, 5- भगत शूरू और 6- अंचार पटवार सर्किलें ।
25	ईदगाह	ईदगाह तहसील (भाग) -1- बुचपोरा, 2-उमरहेयर, 3- जूनीमार पटवार सर्किलें, 4-ओवांता बावन, 5- भगत शूरू और 6- अंचार पटवार सर्किलों को छोड़कर।
26	सेंट्रल शाल्टेंग	सेंट्रल शाल्टेंग तहसील।
6-जिला: बडगाम		
27	बडगाम	नारबल तहसील और बडगाम तहसील (भाग) - इचाकूट और गुडसाठू पटवार सर्किलों को छोड़कर।
28	बीरवाह	मगम और बीरवाह तहसीलें।
29	खानसाहिब	खग और खानसाहब तहसीलें।
30	चरार-ए-शरीफ	चरार-ए-शरीफ तहसील और चादुरा तहसील (भाग) - 2- रोपोरा नामतिहाल, 3-वाथपोरा, 4- बाटापोरा, 5- दौलतपोरा, 6-वाडीपोरा, 14- हयातपोरा पटवार सर्किलों एवं नगर समिति चादुरा को छोड़कर, बडगाम तहसील (भाग) - इचकूट और गुडसाठू पटवार सर्किलें ।
31	चादूरा	बी.के. पोरा तहसील और चादुरा तहसील (भाग) - 2- रोपोरा नमतिहाल, 3- वाथपोरा, 4-बाटापोरा, 5- दौलतपोरा, 6- वाडीपोरा, 14- हयातपोरा पटवार सर्किलें, नगर समिति चादुरा ।
7-जिला: पुलवामा		
32	पमपोरे	पमपोरे, काकापोरा तहसील, पमपोरे नगर पालिका/नगर और खर्यू नगर पालिका/नगर।

33	ट्राल	ट्राल तहसील, अरिपाल तहसील, त्राल नगर पालिका / नगर, अवंतिपोरा तहसील (भाग) -1- अवंतिपोरा, 5- नूरपोरा और 6- मिडुरा पटवार सर्किलों और अवंतिपोरा नगर पालिका/नगर।
34	पुलवामा	पुलवामा तहसील (भाग) - 2- कंगन, 5- मुरान, 6- मितरीगम, 7- करीमाबाद, 11- बनूरा और 16- वाहीबुग पटवार सर्किलें, पुलवामा नगर पालिका / नगर को छोड़कर, अवंतिपोरा तहसील (भाग) -1- अवंतिपोरा, 5- नूरपोरा और 6- मिडुरा पटवार सर्किलों को छोड़कर ।
35	राजपोरा	लिटर शाहूरा तहसील, राजपोरा तहसील, पुलवामा तहसील (भाग) - 2- कंगन, 5- मुरान, 6- मितरीगम, 7- करीमाबाद, 11- बुनूरा और 16- वाहीबुग पटवार सर्किलें ।
8-जिला: शोपियान		
36	जैनपोरा	जैनपोरा, चित्रगाम, बारबुग इमामसाहिब और हरमैन तहसीलें, शोपियान तहसील (भाग) - डंगरपोरा, ट्रेज़, किलोरा मलिकगुंड, नादीगाम, गानोवपोरा आरिष, डन्गाम, प्रताबपोरा और बेमनिपोरा पटवार सर्किलें।
37	शोपियान	केल्तर और कीगम तहसील, शोपियान तहसील (भाग) - डंगरपोरा, ट्रेज़, किलोरा मलिकगुंड, नादीगाम, गानोवपोरा आरिष, डन्गाम, प्रताबपोरा और बेमनिपोरा पटवार सर्किलों को छोड़कर
9-जिला: कुलगाम		
38	डी.एच पोरा	डीएच पोरा और पहलू तहसीलें।
39	कुलगाम	कुलगाम और यारीपोरा तहसीलें।
40	देवसर	कैमोह, फ्रिसाल और देवसर तहसीलें।
10-जिला: अनंतनाग		
41	डोरू	डोरू और शाहाबाद तहसीलें, कोकरनाग तहसील (भाग) - भाई, ओई बुमडूरा, अकिनगाम, सागम और नगाम पटवार सर्किलें ।
42	कोकरनाग (अजजा)	लारनू तहसील, कोकरनाग तहसील (भाग) - भाई, ओई बुमडूरा, अकिनगाम, सागम और नगाम पटवार सर्किलों को छोड़कर और शानगुस तहसील (भाग) - चकलीपोरा, चतरगुल और उतारसू पटवार सर्किलें ।
43	अनंतनाग पश्चिम	काजीगुंड तहसील, अनंतनाग तहसील (भाग) - सी-खानाबल, ई-रूहू, एफ-उरहानहॉल, जी-एल.जी. पोरा, एच- खांडीपहाड़ी, आई-के.जी. रैना, जे-निपोरा, के- हारदु सिचाएं, एल-कामद, एम-साहिबाबाद और एन-इमोह पटवार सर्किलें ।
44	अनंतनाग	अनंतनाग तहसील (भाग) - सी-खानाबल, ई-रूहू, एफ- उरहानहॉल, जी-एल.जी. पोरा, एच- खांडीपहाड़ी, आई-के.जी. रैना, जे- निपोरा, के- हारदू सिचाएं, एल-कामद, एम-साहिबाबाद और एन-इमोह पटवार सर्किलों को छोड़कर।
45	बिजबेहरा	बिजबेहरा तहसील
46	शानगुस- अनंतनाग पूर्वी	अनंतनाग पूर्वी तहसील, शानगुस तहसील (भाग) - चकलीपोरा, चतरगुल और उतारसू पटवार सर्किलों को छोड़कर।
47	पहलगाम	पहलगाम, सालार और श्रीगुफवाड़ा तहसीलें।

11-जिला: किशतवाड़		
48	इंदरवाल	बौजवाह, चाटरू, मारवाह और वारवां तहसीलें, किशतवाड़ तहसील (भाग)- केशवां पटवार सर्किलें, मुगलमैदान तहसील (भाग)- मूलछितर पटवार सर्किलों को छोड़कर और द्राबशल्ला तहसील (भाग)- बालग्रान पटवार सर्किल ।
49	किशतवाड़	दच्छन तहसील, द्राबशल्ला तहसील (भाग)- बालग्रान पटवार सर्किल को छोड़कर और किशतवाड़ तहसील (भाग) - दूल, पोच्छल और केशवान पटवार सर्किलों को छोड़कर और मुगलमैदान तहसील (भाग) - मूलछितर पटवार सर्किल ।
50	पाडेर	अथोली, नागसेनी और माछिल तहसील, किशतवाड़ तहसील (भाग)- दूल और पोच्छल पटवार सर्किल ।
12-जिला: डोडा		
51	भदरवाह	भदरवाह, चिरल्ला, भेल्ला और भल्ला तहसील, कहारा तहसील (भाग) - जौरा पटवार सर्किल, भालेसा तहसील (भाग) - चिल्ली पटवार सर्किल को छोड़कर और थाथरी तहसील (भाग) - जांगलावर आंशिक पटवार सर्किल को छोड़कर ।
52	डोडा	चिली पिंगल, गुंडना, मोहल्ला, फिगसू और भरथ बगला तहसीलें, डोडा तहसील (भाग)- डोडा, अर्नोरी, धार, डोडा नगर समिति, उद्यानपुर (आंशिक रूप से) और धारा पटवार सर्किलें, थाथरी तहसील (भाग) - जंगलावर आंशिक रूप से, कहारा तहसील (भाग) - जौरा पटवार सर्किल को छोड़कर और भालेसा तहसील (भाग) - चिल्ली पटवार सर्किल
53	डोडा पश्चिम	मरमत, अस्सार, कास्तीगढ़ और भागवाह तहसील, डोडा तहसील (भाग) - डोडा, अर्नोरी, धार, डोडा नगर समिति, उद्यानपुर (आंशिक रूप से) और धारा पटवार सर्किलों को छोड़कर।
13-जिला: रामबन		
54	रामबन	बटोटे और राजगढ़ तहसीलें उखराल तहसील (भाग) - पोगल पटवार सर्किल को छोड़कर, रामबन तहसील (भाग) - सोम्बर- हरोग पटवार सर्किल को छोड़कर।
55	बनिहाल	बनिहाल, खारी, गुल और रामसू तहसीलें, उखराल तहसील (भाग) - पोगल पटवार सर्किल, रामबन तहसील (भाग) - सोम्बर- हरोग पटवार सर्किल
14-जिला: रियासी		
56	माहौर (अजजा)	माहौर और चस्साना तहसीलें, थुरू तहसील (भाग) - कांथी पटवार सर्किल को छोड़कर।
57	रियासी	पौनी, थाकराकोट और अरनास तहसीलें, रियासी तहसील (भाग) - भाबर ब्राह्मण, भगा कोटली और कोटली बजलियन पटवार सर्किलों को छोड़कर और थुरू तहसील (भाग) - कांथी पटवार सर्किल

58	श्री माता वैष्णो देवी	कटरा एवं भोमग तहसीलें, रियासी तहसील (भाग) - भाबर ब्राह्मण, भगा कोटली एवं कोटली बजलियान पटवार सर्किलें । 15-जिला: उधमपुर
59	उधमपुर पश्चिम	मुंगरी और पंचारी तहसीलें, उधमपुर तहसील (भाग) - संबल, बैरियन, जिब, रहमबल, पडानू, बरोला, हरटेरियन, मुत्तल, चक रखवालान, माली, बिशाल जट्टन, उधमपुर नगर परिषद, मानसर, क्रिमची, त्रिशी, डेब्रिया, समुंदरानी , चखेर, सियाल जट्टन, कोटली जीजान, मंगियोट, टोपे, संगूर और संसू पटवार सर्किलें ।
60	उधमपुर पूर्व	मजल्टा तहसील, उधमपुर तहसील (भाग) - संबल, बैरियन, जिब, रहमबल, पडानू, बरोला, हरटेरियन, मुत्तल, चक रखवालान, माली, बिशाल जट्टन, उधमपुर नगर परिषद, मानसर, क्रिमची, त्रिशी, डेब्रिया, समुंदरानी, चखेर, सियाल जट्टन, कोटली जीजान, मंगियोटे, टोपे, संगूर, संसू, बाली, मानता, लुधा, समरोली, चिरडी, जखैन, ओसू, पखलाई, ओमाला और लड्डन पटवार सर्किलों को छोड़कर और रामनगर तहसील (भाग) - कोगरमढ पटवार सर्किल ।
61	चेनानी	चेनानी तहसील, लाट्टी तहसील (भाग) - पचौंद, लाट्टी और सिरा पटवार सर्किलें, रामनगर तहसील (भाग) - घोरडी, नाला घोरान, हरटेरियन, धंदाल और बारमीन पटवार सर्किलों और उधमपुर तहसील (भाग) - बाली, मानता, लुधा, समरोली, चिरडी , जखैन, ओसू, पखलाई, ओमाला और लड्डन पटवार सर्किलें ।
62	रामनगर (अजा)	बसंतगढ़ तहसील, रामनगर तहसील (भाग) - घोरडी, नाला घोरान, हरटेरियन, धंदाल, कोगरमढ और बारमीन पटवार सर्किलों को छोड़कर और लाट्टी तहसील (भाग) - पचौंद, लाट्टी और सिरा पटवार सर्किलों को छोड़कर।
16-जिला: कठुआ		
63	बानी	बानी और लोहई मल्हार तहसीलें।
64	बिल्लावर	बिल्लावर और रामकोट तहसीलें।
65	बासोहली	बासोहली और महानपुर तहसीलें, कठुआ तहसील (भाग) - 2- बसंतपुर और 27- थेड़न पटवार सर्किलें ।
66	कठुआ उत्तर	डेंगा अंब तहसील, कठुआ तहसील (भाग) - 1- बरवाल, 3- भुरथैन, 4-बुद्धी, 5- चाक सकता, 9- फोरलेन, 11- हटली, 14- जुथाना, 15- कठेरा, 19- लोआगाटे, 21 - नानन, 22- फलोटे, 26- तराहारा और 28- त्रिदवान पटवार सर्किलें और मरहीन तहसील (भाग) -1- अमला, 2-बल्हार, 3-बन, 4-छन रोरियन, 5- धमाल. 14- हमीरपुर, 15- जोगियाल, 17- किशनपुर कंडी, 23- मुठी हरदो और 26- सेसवान पटवार सर्किलें ।
67	कठुआ दक्षिण (अजा)	नगरी तहसील और कठुआ तहसील (भाग) -1- बरवाल, 3- भुरथैन, 4- बुद्धी, 5- चाक सकता, 9- पेरलैन, 11- हटली, 14- जुथाना, 15- कठेरा, 19- लोआगाटे, 21- नानन, 22- फलोटे, 26- तराहारा, 28- त्रिदवान 2- बसंतपुर और 27- थेड़न पटवार सर्किलों को छोड़कर
68	हीरानगर	हीरानगर और मरहीन तहसील (भाग) - 1 - अमला, 2- बल्हार, 3- बन, 4-

		छन रोरियन, 5- धमाल 14- हमीरपुर, 15- जोगियाल, 17- किशनपुर कंडी, 23- मुठी हरदो और 26- सेसवान पटवार सर्किलों को छोड़कर । 17-जिला: साम्बा
69	रामगढ़ (अजा)	रामगढ़ और राजपुरा तहसीलें और साम्बा (भाग) - कटली, रामनगर और पिंगडोक पटवार सर्किलें।
70	साम्बा	घगवाल तहसील, साम्बा तहसील (भाग) -कतली, रामनगर और पिंगडोक पटवार सर्किलों को छोड़कर और विजयपुर तहसील (भाग) - डागोर और गुराह सलाथिया पटवार सर्किलें ।
71	विजयपुर	बारी ब्राहमणा तहसील और विजयपुर तहसील (भाग) - डागोर और गुराह सलाथिया पटवार सर्किलों को छोड़कर।
18-जिला: जम्मू		
72	बिश्नाह (अजा)	बिश्नाह और अरनिया तहसीलें, आर.एस. पुरा तहसील (भाग) - मरालियन पटवार सर्किल ।
73	सुचेतगढ़ (अजा)	सुचेतगढ़ तहसील, आर.एस. पुरा तहसील (भाग) -मरालियन, दरसोपुर, आर.एस. पुरा खास और कोटली शाह डौला पटवार सर्किलों एवं नगर समिति आर.एस. पुरा को छोड़कर।
74	आर.एस. पुरा -जम्मू दक्षिण	जम्मू दक्षिण तहसील (भाग) -गडीगढ़, सतवारी, हक्का आंशिक, खंडवाल आंशिक और डिगियाना पटवार सर्किलें, जम्मू नगर निगम (भाग) -वार्ड नं. 22, 23, 55, 56, 57, 58 और 73, बाहु (भाग) -चावड़ी पटवार सर्किल, वार्ड नं. 68, 69 और 70 और आर.एस. पुरा तहसील (भाग) -दसरोपुर, आर.एस. पुरा खास और कोटली शाह डौला पटवार सर्किलें, नगर समिति, आर.एस. पुरा।
75	बाहु	बाहु तहसील (भाग) - बाहु, सुंजवां और बाहु आंशिक पटवार सर्किलें जेएमसी वार्ड नं. 20, 21, 42, 43,44, 47,48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 और 74 सहित और जम्मू दक्षिण तहसील (भाग) -वार्ड नं. 45 और 46, जम्मू कैंट।
76	जम्मू पूर्व	जम्मू तहसील (भाग) - बैन बजल और एथम पटवार सर्किलें, नगरोटा तहसील (भाग) -जगती पटवार सर्किल और जम्मू नगर समिति (भाग) - वार्ड नं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 71.
77	भलवाल - नगरोटा	दंसाल तहसील, भलवाल तहसील (भाग) - भलवाल आंशिक पटवार सर्किल और कोटे पटवार सर्किल को छोड़कर नगरोटा तहसील (भाग) - जगती पटवार सर्किल को छोड़कर जम्मू तहसील (भाग) - सूरीसर, सगून और पौथल पटवार सर्किलें ।
78	जम्मू पश्चिम	जम्मू नगर निगम (भाग) -वार्ड संख्या- 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40 और 41 और जम्मू पश्चिम (भाग) - मंडल (आंशिक) और गोले पटवार सर्किलें ।

79	जम्मू उत्तर	जम्मू उत्तर तहसील जेएमसी वार्ड नं. 37, 38, 59 से 67 सहित जम्मू (भाग) - वार्ड नं. 34 से 36 एवं भलवाल तहसील (भाग)- भलवाल आंशिक और कोटे पटवार सर्किलें ।
80	मढ़ (अजा)	मंडल तहसील, मढ़ तहसील जेएमसी वार्ड नं. - 72 और 75 सहित
81	अखनूर (अजा)	अखनूर, परगवाल और जौरियन तहसीलें।
82	खुर	खुर, खराह बल्ली, मैरा मंड्रियन और चौकी चौरा तहसीलें।
19-जिला: राजौरी		
83	कलाकोटे/सुंदरबनी	सुंदरबनी, कलाकोटे, तरयथ और सियोट तहसीलें।
84	नौशेरा	किला दरहाल, बेरी पत्तन और नौशेरा तहसीलें।
85	राजौरी (अजजा)	राजौरी तहसील (भाग)-11-सोहना पटवार सर्किल को छोड़कर
86	दरहल (अजजा)	दरहल, कोटेरंका और खवास तहसीलें।
87	थाना मंडी (अजजा)	थाना मंडी और मंजाकोट तहसीलें, राजौरी तहसील (भाग) - 11- सोहना पटवार सर्किल ।
20-जिला: पुंछ		
88	सूरनकोट (अजजा)	सूरनकोट तहसील, हवेली तहसील (भाग) - खानेटर, सेरी खवाजा और सेंधारा पटवार सर्किलें ।
89	पुंछ हवेली	मंडी तहसील, हवेली तहसील (भाग)-खानेटर, सेरी खवाजा और सेंधारा पटवार सर्किलों को छोड़कर।
90	मेन्धार (अजजा)	बालाकोट, मनकोट और मेन्धार तहसीलें।

तालिका-ख

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और उनका प्रस्तावित विस्तार

क्रम सं. और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम	लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में विस्तार
1-बारामूला	1-करनाह, 2-त्रेहगाम, 3-कुपवाड़ा, 4-लोलाब, 5-हंदवाड़ा, 6-लंगेट, 7-सोपौर, 8-रोहामा रफियाबाद, 9-उरी, 10-बारामूला, 11-तंगमर्ग, 12-कुंजर, 13-पत्तन, 14-सोनावारी, 15-बांदीपोरा, 16-गुरेज़ (अजजा), 27-बडगाम और 28-बीरवाह।
2-श्रीनगर	17-कंगन (अजजा), 18-गंदेरबल, 19-हजरतबल, 20-खानयार, 21- हबाकादल, 22-सोनवार, 23-चानापोरा, 24-जूनीमार, 25-ईदगाह, 26-सेंट्रल शाल्टेंग, 29-खानसाहिब, 30-चरार-ए-शरीफ, 31-चादूरा, 32-पंपोर, 33-त्राल, 34-पुलवामा, 35-राजपोरा और 37-शोपियां।
3-अनंतनाग-राजौरी	36-जैनापोरा, 38-डी.एच. पोरा, 39-कुलगाम, 40-देवसर, 41-डोरू, 42-कोकरनाग (अजजा), 43-अनंतनाग पश्चिम, 44- अनंतनाग, 45-बिजबेहरा, 46- शानगुस-अनंतनाग पूर्वी, 47-पहलगाम, 84-नौशेरा, 85-राजौरी (अजजा) 86-दरहल (अजजा), 87- थाना मंडी (अजजा), 88-सूरनकोट (अजजा), 89-पुंछ हवेली (अजजा) और 90- मेन्धार (अजजा)।
4- उधमपुर	48-इन्दरवल, 49-किश्तवाड़, 50-पाडे़र, 51-भद्रवाह 52-डोडा, 53-डोडा पश्चिम, 54-रामबन, 55-बनिहाल, 59-उधमपुर पश्चिम, 60-उधमपुर पूर्व, 61-चेनानी, 62-रामनगर (अजा), 63-बानी, 64- बिल्लावर, 65-बसोहली, 66-कठुआ उत्तर 67-कठुआ दक्षिण (अजा) और 68-हीरानगर।
5-जम्मू	56-महोर (अजजा), 57-रियासी, 58-श्री माता वैष्णो देवी, 69- रामगढ़ (अजा), 70-सांबा, 71-विजयपुर, 72-बिश्नाह (अजा) 73-सुचेतगढ़ (अजा), 74 -आरएस पुरा-जम्मू दक्षिण, 75- बाहू, 76-जम्मू पूर्व, 77-भलवाल-नगरोटा, 78-जम्मू पश्चिम, 79-जम्मू उत्तर, 80-मढ़ (अजा), 81-अखनूर (अजा), 82-खुर और 83-कालाकोट/सुंदरबनी।

सहसदस्यों से प्राप्त विसम्मत प्रस्ताव

{}

माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण

भारत परिसीमन आयोग

अशोक होटल, तीसरी मंजिल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

विषय

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। दिनांक 26 फरवरी, 2022 को उपलब्ध कराए गए दिनांक 25 फरवरी, 2022 के प्रारूप आधार पत्र/प्रारूप प्रस्ताव।

के मामले में

दिनांक 26 फरवरी, 2022 को उपलब्ध कराए गए दिनांक 25 फरवरी, 2022 के प्रारूप आधार पत्र/प्रारूप प्रस्ताव पर विसम्मत प्रस्ताव/आपत्तियां।

पृष्ठभूमिक तथ्य

1. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग के गठन और आयोग द्वारा किए गए परिसीमन कार्य के बारे में आपत्ति को समझने के लिए इसके हालिया इतिहास और पृष्ठभूमिक तथ्यों पर करीबी नज़र डालना आवश्यक है।
2. जम्मू और कश्मीर राज्य (जिसका दर्जा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आक्षेपित एक संवैधानिक रूप से संदिग्ध कानून के तहत कम करके अब संघ राज्य क्षेत्र कर दिया गया) ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशों के प्रति अपने संधि संबंधी दायित्वों से मुक्ति प्राप्त की थी और एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा हासिल कर लिया था। महाराजा कहे जाने वाले इसके शासक में जम्मू और कश्मीर संविधान अधिनियम, 1939 के तहत सभी विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां निहित थीं। इसके शासक 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आए दो राष्ट्रों में से किसी में भी शामिल नहीं हुए और इसके बजाय उन्होंने दोनों राष्ट्रों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखते हुए स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। हालाँकि, उन्होंने 27 अक्टूबर 1947 को तीन विषयों-रक्षा, विदेशी मामले और संचार पर भारत राष्ट्र में शामिल होने का फैसला किया और शेष सभी विषयों पर अपना अधिकार बनाए रखा। इस राज्यारोहण को स्वीकार कर लिया गया और इसलिए अंगीकार पत्र में निर्धारित शर्तों को भी स्वीकार कर लिया गया। भारत का संविधान निर्मित होने की प्रक्रिया में था और जम्मू और कश्मीर का अंगीकरण स्वीकार करते समय किए गए वायदे के अनुरूप संविधान में जम्मू और कश्मीर को 'सीमित संप्रभुता' की गारंटी देने का प्रावधान शामिल करने का निर्णय लिया गया था। यह संवैधानिक गारंटी, संविधान के अनुच्छेद 370 के रूप में अस्तित्व में आई। दिनांक 17 नवंबर 1949 को शासक ने केवल राज्य के लिए लागू सीमा तक ही भारत के संविधान का अनुसमर्थन किया। यह ध्यान देने योग्य है कि उस तारीख को, संविधान ने केवल अनुच्छेद 370 को क्रियान्वित किया

- और इसके आधार पर अनुच्छेद 1 राज्य पर लागू हो गया था। अनुच्छेद 370 ने संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण की व्यवस्था का निर्धारण करते समय अन्य बातों के साथ-साथ संघ और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए राज्य के लिए अलग संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु एक संविधान सभा का प्रावधान भी किया गया था।
3. राज्य की संविधान सभा अप्रैल 1951 में आहूत की गई थी। हालांकि, नागरिकता, राजतंत्र, मौलिक अधिकार, अवशिष्ट शक्तियों जैसे कुछ तात्कालिक संवैधानिक मामलों के लिए राज्य के संविधान के प्रारूपण और प्रारंभण की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी और इनके तत्काल समाधान की आवश्यकता थी। संघ सरकार और राज्य सरकार ने तदनुसार इन सभी महत्वपूर्ण मामलों का समाधान करने के लिए 1952 में एक करार किया जिसे दिल्ली करार के रूप में जाना जाता है। दिल्ली करार को 7 अगस्त 1952 को संसद द्वारा और 18 अगस्त 1952 को राज्य संविधान सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस करार ने नागरिकता, मौलिक अधिकारों, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, आपातकालीन शक्तियों आदि का विस्तार करते हुए राज्य को अवशिष्ट संप्रभुता या आंतरिक स्वायत्तता की गारंटी दी। राज्य को उन सभी विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकार क्षेत्र की गारंटी दी गई थी जो विषय संघ को प्रदान नहीं किए गए थे। इस प्रकार, केवल अनुच्छेद 370 ने ही जम्मू और कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जे की गारंटी नहीं दी थी, बल्कि जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा या आंतरिक स्वायत्तता अनुच्छेद 370 के अनाधीन थी और इसकी गारंटी 1952 में किए गए दिल्ली करार में भी दी गई थी। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1956 को राज्य के संविधान को अंगीकार किया। यह 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। राज्य के संविधान की शुरुआत का पूरे राजनीतिक जगत के वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं ने स्वागत किया। राज्य के संविधान ने आंतरिक स्वायत्तता को दोहराया और इसका प्रावधान किया, जिसे जम्मू और कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा भी कहा जाता है।
 4. संघ और राज्य के बीच संवैधानिक संबंधों को शासित करने के लिए विकसित व्यवस्था के तहत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन राज्य के अनन्य क्षेत्र में आता है। राज्य के संविधान का भाग VI "राज्य विधानमंडल - राज्य विधानमंडल की संरचना" से संबंधित है। राज्य के संविधान की धारा 47(3) में लिखा है: 47(1).....(2).....(3) प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, विस्तार और सीमाओं को ऐसे प्राधिकार द्वारा और ऐसे तरीके से पुनर्समायोजित किया जाए जो विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करे; बशर्ते कि इस तरह का पुनर्समायोजन विधानसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक प्रभाव नहीं डालेगा जब तक कि मौजूदा विधानसभा का विघटन न हो जाए।
 5. राज्य विधानमंडल ने राज्य संविधान की धारा 47 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 को अधिनियमित किया। इस अधिनियम में प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान था। जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 1963, 1973 और 1995 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया, परिसीमन कार्य किया गया और विधानसभा सीटों को परिसीमित किया गया। अनुच्छेद 170 में संशोधन और इस परंतुक कि "जब तक कि वर्ष 2026 के बाद की गई पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जाते" तब तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं किया जाना है, को जोड़ने के मद्देनजर राज्य के संविधान में भी ऐसा ही संशोधन किया गया था, जिसके बाद जम्मू और कश्मीर प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 की धारा 3 में संशोधन किया गया था। इस प्रकार, देश के बाकी हिस्सों की तरह परिसीमन कार्य वर्ष 2031 की जनगणना के आंकड़ें उपलब्ध होने के बाद किया जाना था।
 6. राष्ट्रपति ने 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश 1954 का अधिक्रमण करते हुए भारत के संविधान को पूरे राज्य में इसकी संपूर्णता में लागू करते हुए संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश सी.ओ. 272 पारित किया। आदेश सीओ 272 के बाद सी.ओ. 273 पारित किया

गया जिसमें यह घोषणा की गई कि राज्य पर संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने वाले खंड को छोड़कर अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं रहेंगे। 5 अगस्त 2019 को राज्य सभा ने जम्मू और कश्मीर (पुनर्गठन) विधेयक, 2019 पारित किया जिसके तहत राज्य को दो संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। यह अधिनियम 9 अगस्त 2019 को अधिसूचित किया गया था। 5 अगस्त 2019 का सी.ओ. 272, 6 अगस्त 2019 का सी.ओ. 273 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने जम्मू और कश्मीर राज्य को उसके विशेष संवैधानिक दर्जे से वंचित कर दिया और जम्मू और कश्मीर राज्य के दर्जे को घटाकर इसे दो संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन को जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 सहित कुछेक सौ राज्य कानूनों को निरस्त करने और नए संघ राज्य क्षेत्र में परिसीमन अधिनियम, 2002 सहित सौ से अधिक केंद्रीय कानूनों को लागू करने के लिए एक साधन भी बनाया गया था।

7. 5 और 6 अगस्त 2019 को उठाए गए सभी कदम अर्थात् सीओ, 272, सीओ. 273 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, संविधान की भावना पर घोर प्रहार करते हुए निहायत असंवैधानिक और न्यायिक संवीक्षा के समक्ष खड़े रह पाने में असमर्थ होने के कारण, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लगभग 10 याचिकाओं में इन आदेशों और अधिनियमों पर सवाल उठाया गया है, जिनमें से अधिकांश याचिकाएं अगस्त 2019 में ही दायर की गईं। याचिकाकर्ताओं ने अकाट्य और ठोस संवैधानिक आधारों पर सीओ 272 और सीओ 273 आदेश और पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्राधिकारों पर सवाल उठाए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने याचिकाओं पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने और याचिकाओं को माननीय न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को संदर्भित करने की कृपा की है। पांच न्यायाधीशों की माननीय संवैधानिक पीठ ने इन सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ने का आदेश दिया है, मामले की कुछेक बार सुनवाई की लेकिन उसके बाद सुनवाई संभव नहीं हो पाई और कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण इसमें देरी हो गई। प्रत्यक्ष सुनवाई फिर से शुरू होने के बाद, मामलों के आगे बढ़ने और निकट भविष्य में सुनवाई होने की उम्मीद है।

सामने आई आपतियां

8. माननीय परिसीमन आयोग इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ सकता है कि जिस कानून की प्रयोज्यता के तहत आयोग का गठन किया गया है और जिस कानून को आयोग को लागू करना है और जिस कानून के अंतर्गत आयोग को अपनी शक्तियां प्राप्त होती हैं, वे संवैधानिक रूप से संदिग्ध कानून हैं क्योंकि उनके प्राधिकार या उनकी संवैधानिकता, देश के सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय की न्यायिक संवीक्षा के अधीन है। हमारे जैसी शासन व्यवस्था द्वारा शासित संवैधानिक लोकतंत्र में संवैधानिक नीति, नैतिकता और औचित्य के मूलभूत सिद्धांतों के लिए इस माननीय आयोग सहित राज्य के सभी अंगों, सभी राज्य पदाधिकारियों और सरकारी और अर्ध-सरकारी संवैधानिक निकायों और संस्थानों से यह अपेक्षित होता है कि वे ऐसे किसी कानून को क्रियान्वित, अधिनियमित या उसके अधीन शक्तियों का प्रयोग न करें जिसकी संवैधानिक वैधता और प्राधिकार की जांच माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा रही हो। पीठ को सुशोभित करने वाले देश के जाने-माने कानूनी विद्वान के रूप में आयोग के माननीय अध्यक्ष, इस मूल सिद्धांत से भली-भांति वाकिफ हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अधिकारातीत और असंवैधानिकता के आधार पर आक्षेपित और संविधान पीठ द्वारा संवीक्षा के अधीन कानून का कार्यान्वयन टाला जाना चाहिए, क्योंकि चुनौती के दौरान इसका कार्यान्वयन, न्यायालय की अवहेलना हो सकता है और फैसले को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमारी विनम्र राय में माननीय आयोग को वर्तमान परिसीमन कार्य को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
9. परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत गठित माननीय आयोग को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए कहा

गया है। माननीय आयोग कृपया इस बात से अवगत हो सकता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित याचिकाओं में अन्य प्रश्नों के साथ-साथ इन प्रश्नों के उत्तर की भी अपेक्षा होगी कि: क्या किसी राज्य के दर्जे को घटाना और एक राज्य को दो या दो से अधिक संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित करना संविधान के तहत अनुमत है। हमें यह स्मरण रखने की जरूरत है कि भारत के संविधान के तहत भारत राज्यों का एक संघ है। क्या किसी राज्य को अलग करने से उसकी स्थिति और पहचान को नुकसान होगा - यह देश के संघीय चरित्र के लिए एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना होना अभिनिर्धारित किया गया है और इसलिए यह अननुमेय और असंवैधानिक होगा। क्या राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356, के तहत असाधारण और आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 3 परंतुक 1 और 2 को निलंबित करने की अनुमति थी, जब निलंबित प्रावधान राष्ट्रपति शासन के दौरान सुचारू प्रशासन को चलाने के लिए असंबंधित थे। क्या अनुच्छेद 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में शामिल संवैधानिक रक्षापायों और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया था और सख्ती से अनुसरण किया गया था, यदि किसी भी तरह राज्य के विभाजन और इसके दर्जे को कम करना सोचा जाए भले ही वह संभव होना न माना जाए। क्या जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 का निरसन कानून के अनुसार था और क्या जम्मू और कश्मीर में परिसीमन अधिनियम 2002 को लागू करना कानून के तहत अनुमत था। क्या जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को संविधान का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है।

10. याचिकाओं की सुनवाई के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठने वाले उपरोक्त और ऐसे सभी प्रश्नों का ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार प्रश्न हैं जो मामले की जड़ तक जाता हैं और माननीय आयोग को इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर उचित ध्यान देते हुए, इस कार्य को आगे बढ़ाना बंद करना चाहिए और 5 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019 के सीओ 272 तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पर आक्षेपित याचिकाओं के बैच में न्यायिक फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
11. जम्मू-कश्मीर का संविधान (राज्य का संविधान) संविधान की शक्ति का प्रयोग करते हुए विधिवत रूप से आहूत संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया है। संविधान को संसद या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। आज की तारीख में राज्य का संविधान अस्तित्व में है। इसमें वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद परिसीमन का प्रावधान है। जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 में भी 2031 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद परिसीमन का प्रावधान है। देश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद किया जाना है। इसलिए किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो परिसीमन की प्रक्रिया को वर्ष 2031 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए आस्थगित किया जाना चाहिए। परिसीमन कार्य के लिए जम्मू और कश्मीर को अलग करने का कोई कारण नहीं है, जब अंतर्निहित तर्क और सभी प्रासंगिक कारक इस तरह की कवायद को वर्ष 2031 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक आस्थगित करने की वकालत करते हैं। जो पूरे देश के लिए अच्छा है वह जम्मू और कश्मीर के लिए भी अच्छा होना चाहिए। आयोग को इस तथ्य का तब और अधिक संज्ञान लेना चाहिए, जब आयोग ने स्वयं ही असम में परिसीमन कवायद को आस्थगित कर दिया हो।
12. देश के बाकी हिस्सों से एक दशक से अधिक समय पहले परिसीमन कवायद को न्यायसंगत ठहराने के लिए दिया गया तर्क यह है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए प्रावधान किया गया था और चूंकि 7 बढ़ी हुई सीटों का आवंटन किया जाना था, इसलिए यह आवश्यक था कि इस तरह की कवायद शुरू की जाए। कम से कम कहा जाए तो यह तर्क दिखावटी है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में आंध्र प्रदेश के मामले में 50 विधानसभा सीटों और तेलंगाना के मामले में 34 विधानसभा सीटों की वृद्धि का प्रावधान था। इस वृद्धि ने परिसीमन कवायद को त्वरित नहीं किया और विधानसभा चुनाव नए परिसीमन कवायद के बिना ही आयोजित किए गए। वर्ष 2031 की

जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने के बाद देश में परिसीमन से पहले किसी भी परिसीमन कवायद को करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। असम में, चुनाव बिना परिसीमन के हुए थे, हालांकि परिसीमन आयोग के गठन के साथ प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उक्त पृष्ठभूमि में, सही तरीका यह होगा कि परिसीमन की प्रक्रिया को रोक दिया जाए और वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित किए जाने के बाद देश में इस तरह की कवायद के साथ इसे शुरू किया जाए, जैसा कि अनुच्छेद 170 में प्रावधान किया गया है और राज्य के संविधान की धारा 47 में भी परिकल्पित है। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा के चुनाव मौजूदा परिसीमन के अनुसार आयोजित किए जा सकते हैं जैसा कि आंध्र प्रदेश, असम और तेलंगाना के मामले में किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 5वें और 6वें निर्णयों की लंबित चुनौतियों के कारण यह प्रक्रिया वांछित भी होगी और उचित भी। संसद ने अपने विवेक से वर्ष 2031 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक पूरे देश में परिसीमन को आस्थगित करने का निर्णय लिया और इस निर्णय को तब भी संशोधित नहीं किया गया था, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मामले में इस पर पुनर्विचार करने के कारण थे, इसलिए जम्मू-कश्मीर के मामले में भी समान मानदंड का पालन किया जाना चाहिए।

विस्तृत आपतियां

13. ये आपतियां हमारे ऐसे सुसंगत रुख पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रस्तुत की गई हैं कि चूंकि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, सी. ओ. 272, सी. ओ. 273 और अगस्त 2019 में किए गए अन्य उपायों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है और उनकी संवैधानिक वैधता की जांच माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा की जा रही है, वर्तमान परिसीमन कवायद न्यायिक संवीक्षा के तहत किसी कानून के कार्यान्वयन के समान होगी और माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक फैसला सुनाए जाने तक परिसीमन कवायद को रोका जाना चाहिए। यह बताया जाता है कि कागजात 1 और कागजात 2-6 की प्रतिक्रिया पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और प्रारूप प्रस्ताव में केवल दिखावटी बदलाव किए गए हैं। इसलिए नए प्रत्युत्तर के साथ-साथ पहले से प्रस्तुत आपतियों को दोहराना पड़ता है।

विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र

14. नियमित अंतराल के बाद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। कानून बनाने वाली संस्थाओं में लोगों को समान प्रतिनिधित्व, निर्णय लेने और शासन में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी समान भागीदारी लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र को मजबूत करने में परिसीमन कवायद के महत्व को ध्यान में रखते हुए परिसीमन कवायद को स्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए। स्पष्टता, उद्देश्यपरकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि विधिक ढांचे, निर्धारित मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए और यदि कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है तो निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार मानदंड निर्धारित किए जाएं और अनुमोदित या निर्धारित मानदंड, जैसा भी मामला हो, को समान रूप से लागू किया जाए न कि चुनिंदा रूप से। यह इंगित करना पीड़ादायक है कि वर्तमान परिसीमन कवायद न तो संविधान के अनुरूप है और न ही कानून के अनुरूप है। चाहे वह 7 बड़े हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन करने के मानदंड हों या निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ खींचने के मानदंड हों, ये मानदंड मनमाने ढंग से तय किए गए हैं और चुनिंदा रूप से लागू किए गए हैं।
15. किसी भी परिसीमन कवायद के पीछे मूल सिद्धांत यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में यथासंभव समान जनसंख्या हो। इसलिए, इसके निर्धारक मानदंड समीपस्थ जनसंख्या, कनेक्टिविटी, संचार, सुविधा, सुसंबद्ध क्षेत्र और अन्य कारण हैं। संविधान और कानून में इस स्थिति पर जोर दिया गया है जिसका विस्तृत संदर्भ कागजात 1 से 6 के जवाब में दिया गया है और इन्हें इन आपतियों/विसम्मतियों के साथ पढ़े जाने का अनुरोध किया जाता है। हालाँकि, चाहे अतिरिक्त सीटों का आवंटन हो या विधानसभा

- क्षेत्रों का परिसीमन, इन सिद्धांतों की बहुत आसानी से अनदेखी की गई है। अनंतनाग, बडगाम, कुपवाड़ा और श्रीनगर में से प्रत्येक के लिए 1 सीट के साथ कुल 4 की पात्रता के मुकाबले कश्मीर को 7 बढ़ी हुई विधानसभा सीटों में से एक सीट आबंटित करने के प्रस्ताव से उन क्षेत्रों के बीच असमानता और असहमति पैदा होना तय है।
16. पिछले प्रत्युत्तर में चिह्नंकित किए गए आंकड़ों पर फिर से विचार करना आवश्यक हो जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू और कश्मीर की कुल जनसंख्या 1,22,67,348 है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कश्मीर डिवीजन की जनसंख्या 68,88,829 है और जम्मू डिवीजन की जनसंख्या 53,78,519 है। प्रति विधानसभा क्षेत्र की औसत जनसंख्या 1,36,304 आती है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर कश्मीर के डिवीजनों को आबंटित किए जाने वाले विधानसभा क्षेत्रों की संख्या और प्रति विधानसभा क्षेत्र की औसत जनसंख्या क्रमशः 51 (50.54) और जम्मू डिवीजन की 39 (39.45) होनी चाहिए। कश्मीर डिवीजन को आबंटित किए जाने के लिए प्रस्तावित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 47 है या इसे आबंटित करने के योग्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से 4 कम है और जम्मू को आबंटित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 43 है या डिवीजन की जनसंख्या और प्रति विधानसभा क्षेत्र की औसत जनसंख्या को देखते हुए यथोचित से 4 अधिक है और कुल जनसंख्या के 56.15% वाले कश्मीर डिवीजन को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का केवल 52.22% मिल रहा है और 43.84% जनसंख्या वाले जम्मू डिवीजन को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का 47.77% मिल रहा है। कश्मीर डिवीजन अधिक आबादी होने के बावजूद व्यावहारिक रूप से मताधिकार से वंचित हो रहा है।
17. कागजात 1 में यथा समर्थित +10%, औसत और -10% के साथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के तीन समूहों में वर्गीकरण जिसमें एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की औसत जनसंख्या 136304 है और 10%+/- विचलन है, का घोर उल्लंघन किया गया है। प्रारूप प्रस्ताव में -67% तक का विचलन किया गया है। कश्मीर डिवीजन में 10 में से 5 जिलों को +10% की श्रेणी में रखा गया है, जबकि जम्मू डिवीजन में 10 में से केवल 2 जिलों को +10% की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि जम्मू डिवीजन के 2 जिलों के मुकाबले 10 में से 5 जिलों में प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र औसत जनसंख्या 136304 के समग्र औसत के मुकाबले 149935 होगी। कश्मीर डिवीजन में केवल 1 जिले को -10% के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि जम्मू डिवीजन में 4 जिलों को -10% की श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि जम्मू डिवीजन में 4 प्रादेशिक क्षेत्रों को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मिले हैं हालांकि उनकी आबादी औसत से कम है। इस प्रस्ताव में इस युक्ति का उपयोग कश्मीर डिवीजन में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को कम करने और जम्मू डिवीजन में संख्या बढ़ाने के लिए किया गया है। इस स्थिति में प्रस्तावित मापदंडों पर कड़ी नजर रखने की मांग की जाती है।
18. सांबा जिले और कुलगाम जिले के संबंध में प्रस्ताव जैसा कि पहले ही प्रस्तुत किया गया है, पूरी तरह से असमर्थनीय है और इसे और करीब से देखने की जरूरत है। 3,16,031 की आबादी और 915 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले सांबा जिले को 105344 की औसत आबादी के साथ 3 विधानसभा क्षेत्र आबंटित करने का प्रस्ताव है यानी औसत से 31 हजार कम और प्रति विधानसभा क्षेत्र औसतन 305 वर्ग किमी के साथ -10% श्रेणी से भी 22 हजार कम। कागजात-1 में सांबा जिले को आश्चर्यजनक रूप से +10% श्रेणी के जिले के रूप में दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में लागू की गई यह कसौटी दिए गए मापदंडों से मेल नहीं खाती। 4,24,484 की आबादी वाले कुलगाम जिले को औसतन 1,41,495 यानी औसत से 5,191 अधिक और प्रति विधानसभा क्षेत्र 1003 वर्ग किलोमीटर के औसत क्षेत्रफल के साथ 3 विधानसभा क्षेत्र आबंटित करने का प्रस्ताव है। कुंड, वाल्टेन्गो नार - हिमस्खलन प्रवृत्त क्षेत्र, डी.एच. पोरा के ऊपरी और कठिन इलाके हैं और इन क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के बड़े हिस्से को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन सभी कारकों के कारण कुलगाम जिले को -10% श्रेणी में रखे जाने की जरूरत

- थी। इसके बजाय, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप जिले के साथ घोर अन्याय हुआ है।
19. माननीय आयोग ने बढ़ी हुई 7 सीटों का विभाजन और पहचान करते समय सबसे पहले मनमाने ढंग से कुछ अज्ञात मानदंड तैयार किए हैं और फिर इस तरह से तय किए गए मानदंडों को चुनिंदा रूप से लागू किया है और उसके बाद मुख्य मानदंड के रूप में जनसंख्या के मूल सिद्धांत से समझौता करते हुए सीटों को आबंटित किया है। कागजात -1 में निर्धारित और अधिसूचित औसत मानदंड के -10% और +10% का भी उल्लंघन करते हुए बढ़ी हुई सीटों को मनमाने ढंग से आबंटित किया गया है। मानदंडों में यह व्यवस्था थी कि किसी एक विधानसभा खंड की औसत आबादी 136304 होगी, पर कठिन इलाके, संपर्क मार्ग (कनेक्टिविटी) की कमी, लोगों द्वारा सामना की जा रही कठिनाई को देखते हुए -10% की छूट दी जाएगी। ऐसे मामलों में औसत से 10% कम आबादी के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आबंटित किया जाएगा। इस कसौटी के मानदंड या संकेतक सहयोगी सदस्यों को नहीं बताए गए थे। तथापि, 1:6 के अनुपात में बढ़ी हुई 7 सीटों के आबंटन के संबंध में निर्णय, यद्यपि मनमाने ढंग से और हमारी आपत्तियों की अनदेखी करते हुए, कागजात -1 के परिचालित होने से पहले लिया गया था और सहयोगी सदस्यों से प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई थी, हालांकि 31 दिसंबर, 2021 को दायर की गई टिप्पणी/आपत्ति जो कि ठोस और आश्वस्त करने जैसी थी, को नजरअंदाज कर दिया गया था। कानून और तर्क के तहत विचार किए जाने से इतर कारणों से बढ़ी हुई सीटों के मनमाने आबंटन ने अब परिसीमन कार्य के मौलिक सिद्धांतों के भारी उल्लंघन को अपरिहार्य बना दिया है।
20. इस प्रारूप में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण मानदंडों के रूप में जनसंख्या को नजरअंदाज किया जाना जारी है और इसे इतना महत्व नहीं दिया गया है जितना दिया जाना चाहिए था। जनसंख्या में विचलन 41-डूरे के मामले में औसत 136304 से 56077 अधिक से लेकर 50-पैडर के मामले में औसत से 85025 कम तक है। जम्मू प्रांत में 100,000 - 1 लाख से कम आबादी वाले 6 विधानसभा खंड हैं (पद्दार, इंदरवाल, श्री माता वैष्णव देवी, बानी, बसोहली और किशतवाड़) जबकि ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तीन (गुरेज़, करनाह और कुंजर) है। इसी तरह, कश्मीर प्रांतों में 1,50,000 से अधिक आबादी वाले 20 विधानसभा खंड हैं, जबकि जम्मू प्रांत के मामले में ऐसे विधानसभा खंडों की संख्या 8 है। कश्मीर प्रांत में चौबीस निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या औसत 136304 से अधिक है, जबकि जम्मू प्रांत में केवल आठ निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या माननीय आयोग द्वारा निर्धारित एक निर्वाचन क्षेत्र की औसत जनसंख्या से अधिक है। डूरे की जनसंख्या जम्मू के तीन निर्वाचन क्षेत्रों यानि पद्दार, श्री माता वैष्णो देवी और बानी निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के लगभग बराबर है। जहां 2 लाख से कुछ कम की आबादी वाले डूरे का विधानसभा में एक सदस्य होगा, वहीं ऊपर उल्लिखित 3 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग समान जनसंख्या वाले क्षेत्र के विधानसभा में तीन सदस्य होंगे। अतः, डूरे के लोग निर्णय लेने में समान रूप से साझेदार और शासन में समान भागीदार नहीं हो सकते। 1-6 आलेख के आधार पर कश्मीर और जम्मू के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अशक्तीकरण और बेदखली के तल की पटकथा है। संशोधित प्रारूप इन घोर विसंगतियों को बिल्कुल भी दूर नहीं करता है।
21. 26 फरवरी को उपलब्ध कराया गया प्रारूप प्रस्ताव, 14 फरवरी, 2022 को प्रस्तुत किए गए पत्र 1-6 के प्रत्युत्तर पर बिल्कुल भी विचार नहीं करता है। जबकि अनुच्छेद 81(2)(ख) में परिकल्पित जिला, न कि राज्य को एक इकाई के रूप में लिया गया है, अनंतनाग, बडगाम, कुपवाड़ा और श्रीनगर जिलों की जनसंख्या और माननीय आयोग द्वारा निर्धारित +/- 10% के मानदंड को ध्यान में रखते हुए, सात बढ़ी हुई सीटों में से प्रत्येक, एक अतिरिक्त विधानसभा खंड आवंटित किया जाने के लिए पात्र है, जबकि जम्मू प्रांत में राजौरी, पुंछ और डोडा में से प्रत्येक को को एक-एक दिया जाना है। माननीय आयोग ने बिना किसी कारण के अनंतनाग, बडगाम, श्रीनगर और पुंछ के न्यायोचित दावे को नज़रअंदाज़ करते हुए रियासी, कठुआ, सांबा, उधमपुर, किशतवाड़ की बढ़ी हुई सीटों में से एक-एक सीट अनुचित रूप से आवंटित

कर दी है, जबकि निर्धारित मानदंड जिलों को विस्तार के लिए पात्र नहीं बनाते हैं। 100 किमी लंबी नियंत्रण रेखा (एलओसी) वाले बारामूला को नियंत्रण रेखा (एलओसी) के समीप रहने वाली आबादी के सामने आने वाली कठिनाई को देखते हुए भी एक अतिरिक्त सीट नहीं मिलती है, जबकि कुल 900 वर्ग किमी के क्षेत्रफल वाले उपनगरीय औद्योगिक जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से निकटता के नाम पर एक अतिरिक्त विधानसभा खंड मिलता है।

22. कानून से विचलन को स्पष्ट करने के लिए 85 - राजौरी, 90 - मेंढर और 88 - पुंछ हवेली को ज्वलंत उदाहरणों के रूप में उद्धृत किया गया था और इंगित विचलन को ठीक कर दिया गया है, तो भी आधार पत्र 2-6 को गौर से देखने पर पता चलता है कि अधिकतर मामलों में भौगोलिक सघनता, धारा 60 (पूर्वोक्त टिप्पणी) में बताई गई संचार सुविधा और जनता की सुविधा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकित किया गया है, क्षेत्रों को शामिल किया गया है और क्षेत्रों को जोड़ा गया है लेकिन इन कारकों पर कम से कम ध्यान रखा गया है और तय मानदंडों के तहत अनुमत कारणों के अलावा अन्य कारणों पर न्यूनतम ध्यान दिया गया है। यह इंगित किया जाता है कि अनंतनाग पश्चिम के साथ इमोह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और साहिब आबाद को शामिल कर लिया है, जो पहले, अब के खंडित शांगस-अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है, और 43-अनंतनाग पश्चिम के मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यही हाल किश्तवाड़ का है जहां इंदरवाल के करीब मुचटेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और बलग्रान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को 49- किश्तवाड़ के साथ जोड़ा गया है। 5-हंदवाड़ा एक और इंगित मामला है। हंदवाड़ा तहसील के हिस्से को काटकर दूसरे विधानसभा खंड के साथ जोड़ दिया गया है और दुमुल्ला तहसील जो पहले 3-कुपवाड़ा का हिस्सा था, को 5-हंदवाड़ा के साथ जोड़ दिया गया है। 74-आरएस पुरा-जम्मू दक्षिण और 22-सोनावर के साथ भी यही किया गया है, जहां अन्य विधानसभा खंडों के मध्य से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को चुनकर अन्य विधानसभा खंडों के साथ जोड़ा गया है। 41- डुरू सबसे बड़ी आबादी 192381 वाले निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ एक बड़ा क्षेत्र भी है। यह विधानसभा खंड एक अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए पात्र है। अधिकांश विधानसभा खंडों का यही हश्र हुआ है। विधानसभा खंडों का उल्लेख केवल निर्धारित मानदंडों से हटने और विचलन को दर्शाने के लिए किया गया है। माननीय आयोग ने कानून की अवहेलना करते हुए विधानसभा खंडों के भीतर और बीच में से द्वीपों को तराशा है और बिना किसी निकटता या संपर्क मार्ग (कनेक्टिविटी) के दूर के विधानसभा क्षेत्रों के साथ जोड़ दिया है। यहां दिए गए विवरण केवल निर्धारित प्रथाओं और सार्वभौमिक रूप से पालन किए गए मानदंडों से पृथक पैटर्न को स्पष्ट करने के लिए हैं और इनमें सभी खंड शामिल नहीं हैं।

23. जम्मू और कश्मीर के दो प्रोविंस/डिवीजन्स सन्निहित हैं और विशाल पीर पंजाल श्रेणी और लघु हिमालय (The Lesser Himalayas) के अन्य पहाड़ों द्वारा विभाजित होते हैं। दोनों डिवीजनों में एक ही समान भूभाग और स्थालाकृति हैं और मुख्यतः पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों का लगभग समान हिस्सा पड़ता है। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों को एक डिवीजन के लाभ के लिए चुनकर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और न ही इसके प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सकता है और दूसरे डिवीजन को शक्तिविहीन और मताधिकारविहीन किया जा सकता है। लघु हिमालय (The Lesser Himalayas) के दूसरी ओर के लोगों और सीमा के भीतर छोटी घाटियों के लोगों को -10% श्रेणी में रखे गए जिलों की तरह पर्याप्त संचार और संपर्क मार्ग (कनेक्टिविटी) की कमी जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माटीगवरान, अहलानगादोले, कपरान, हापटनार, लिदू, फ्रिसलान, लेहेंडाजन, चिमरान, काचीवान, चौगाम और अनंतनाग के अन्य सुदूरवर्ती इलाकों में आबादी की स्थिति यह है कि वे संचार के साधनों, नागरिक सुविधाओं के संबंध में भारी कठिनाई का शिकार हैं, और वे जिले -10% या कम से कम औसत श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पात्र हैं। देवपोरा, हीरपोरा, किरचापथरी, दचनू, गोरसीनार जम्पात्री और साइमार्ग, चखरीनूरी कथालन और अन्य क्षेत्रों जैसे सबसे दुर्गम और कठिन और सुदूरवर्ती क्षेत्रों जहां संचार न के बराबर है, के साथ पूरे शोपियां जिले की शक्तिशाली पीर पंजाल द्वारा अनदेखी की गई है। इन्हें +10% श्रेणी में रखा गया है जो इसे अनुचित

और भेदभावपूर्ण बना रही है। बारामूला के संदर्भ में भी यही सत्य है। 100 किमी लंबी नियंत्रण रेखा (एलओसी) और हवा मरकूट, कित्री दजान के दूरदराज के क्षेत्रों में और रफियाबाद, बिझामा, कमल कोट, नंबला, उरी के आंतरिक क्षेत्रों, बोनियार, कंडी, काकाव थाल के आंतरिक क्षेत्रों में, जहां कम या कोई संचार नहीं है, और एलओसी के पास आबादी का एक बड़ा हिस्सा कठिनाई का सामना करते हुए रात दिन उजड़ रहा है, इसलिए बारामूला जिला -10% की श्रेणी में रखे जाने का पात्र है। पत्र-1 के प्रस्तावों में बडगम जिले को भी उचित महत्व नहीं दिया गया है। माननीय आयोग यह समझने में विफल रहा है कि अधिकांश जिलों में पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र शामिल हैं और तोरुमैदान और खाग, बीरवाह, खान साहब, गोगजी पथरी कठिन इलाके वाले सुदूरवर्ती इलाकों से घिरे हुए हैं। इस जिले को आश्चर्यजनक रूप से +10% की श्रेणी में रखा गया है जबकि इसे -10% की श्रेणी में या कम से कम औसत श्रेणी में रखा जाना चाहिए था। इसलिए, इस तरह की कवायद करने के लिए कागजात-1 में निर्धारित वर्गीकरण और मानदंड मनमाना, अनुचित और चुनकर उपयोग किए गए हैं। जब तक सुधारात्मक उपाय नहीं किए जाते, यह परिणाम कश्मीर डिवीजन के साथ घोर अन्याय है। हमने दिनांक 20 दिसंबर, 2021 को हुई बैठक में अपने मुद्दों से अवगत करा दिया है और यह बताया है कि यह प्रस्ताव ऐसी कवायद में अपनाए गए मूल मानदंडों को ठेस पहुँचाता है।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

24. संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अनंतनाग और प्रारूप प्रस्ताव का प्रस्तावित परिसीमन ऐसा है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ऐसी कवायद में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ, जहां वर्ष के अधिकतर समय तक दुर्गम रहने वाली एक उच्चतम पर्वतीय श्रृंखला द्वारा पृथक किए गए दो विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों को विधि के अंतर्गत यथापेक्षित समीपता, संपर्क मार्ग (कनेक्टिविटी), सुविधा और सुसंबद्ध क्षेत्र के मूलभूत सिद्धांतों की अनदेखी करके एक ही निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए कभी भी मिलाया गया हो। दो अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों श्रीनगर और बारामूला के संबंध में भी प्रारूप में परिसीमन के मूलभूत सिद्धांतों पर ध्यान नहीं दिया गया है।
25. किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अवास्तविक, तर्कहीन और विवेकहीन सीमांकन का इससे ज्यादा खराब उदाहरण नहीं हो सकता है जो 3-अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र का है। माननीय आयोग ने शोपियां जिले के अनंतनाग, कुलगाम और जैनपोरा को इनके भू-भाग, भूगोल-शास्त्र, संपर्क मार्ग (कनेक्टिविटी), पहुंच और संपूर्ण सुविधा पर जरा भी ध्यान दिए बिना पुंछ और राजौरी जिले के साथ मिला दिया है। माननीय आयोग ने इतना भी विचार नहीं किया है कि अनंतनाग, कुलगाम और जैनपोरा, विशाल पीरपंजाल श्रृंखला द्वारा पृथक है और भारी हिमपात की वजह से यह क्षेत्र आधे वर्ष के लिए अलभ्य रहता है। प्रारूप प्रस्ताव को किसी भी दृष्टिकोण से देखने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसका एकमात्र परिणाम पुंछ, राजौरी और दक्षिण कश्मीर के दूर-दराज इलाकों के लोगों के लिए अत्यधिक कठिनाई के रूप में निकलेगा। श्रीनगर और बारामूला की सीमाओं को पुनः खींचना, परिसीमन कवायद करते समय सुसंबद्धता, समीपता और संपर्क मार्ग (कनेक्टिविटी) के मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रति ऐसी ही उदासीनता दर्शाता है। निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों और लोगों को होने वाली अत्यधिक असुविधा पर बिल्कुल भी ध्यान दिए बिना शोपियां को श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र और बारामूला के बडगम और बीरवाह भाग का हिस्सा बना दिया गया है।
26. माननीय आयोग ने वृहत ऐतिहासिक महत्व के कुछ नामों को बहाल किया है। आधार पत्र 1 - 6 में ऐतिहासिक महत्व के अनेक निर्वाचनों क्षेत्रों को खौफनाक ढंग से विरूपित कर दिया गया है। तथापि अमीराकदल, जाड़ीबल, संग्रामा, गुलमर्ग, होम शाली बुघ, बटमालू, गांधीनगर के साथ न्याय किया जाना अभी बाकी है इन्हें गायब कर दिया गया है और उनके भावनात्मक मूल्य और महत्व को बेपरवाही से पूरी तरह विलोपित कर दिया गया है। अमीरा कदल हमें गवर्नर अमीर खान की याद दिलाता है जिन्होंने वास्तुकला तथा शहरी विकास के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह अत्यंत दुःखद है कि जब देश में शहरों और कस्बों के पुराने नाम वापस रखे जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जम्मू और कश्मीर के इतिहास

और संस्कृति को विलोपित करने और ध्वंस करने के लिए साभिप्राय प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानों, कस्बों और शहरों के नाम संस्कृति एवं इतिहास के प्रतीक होते हैं तथा इनका सम्मान किया जाना चाहिए। अतः, इन निर्वाचन क्षेत्रों को अवश्य ही बहाल किया जाना चाहिए।

27. माननीय आयोग ने नक्शों का अवलोकन करके ही कदाचित्त यह कवायद पूरी की है और उन्होंने उत्तर कश्मीर, दक्षिण कश्मीर, मध्य कश्मीर, पीरपंजाल, कठुआ के विभिन्न भागों एवं अन्य जिलों और उप-जिलों के मुख्यालयों का दौरा नहीं किया है। माननीय आयोग ने जम्मू कश्मीर के विभिन्न वर्गों के लोगों तथा नागरिक समाज के समूहों के साथ न तो भेंट की और न ही वार्ता की और यह प्रारूप आम जनता की आकांक्षाओं और दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
28. जैसाकि पूर्ववर्ती प्रत्युत्तर में बताया गया है, आधार पत्र 1-6 के संबंध में ध्यान नहीं दिया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है, जो उपर्युक्त दिए गए प्रस्तुतिकरणों से अवश्य स्पष्ट होंगे, अतः इन प्रस्तावों को वापस लिया जाना चाहिए और संविधान के अंतर्गत जब भी अनुमत्य हो, समाज के सभी वर्गों के साथ व्यापक परामर्श और वार्ता के उपरांत इन पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए।
29. यह कि, पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित कारणों और इसके उपरांत प्रस्तुत किए जा सकने वाले कारणों की वजह से आधार पत्र 1-6 स्वीकार्य नहीं है और इन पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग के साथ घोर अन्याय होगा और यह उन मूलभूत सिद्धांतों का भी उल्लंघन करेगा जो परिसीमन की कवायद को शासित करते हैं और जिनका माननीय आयोग द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए।
30. कि हम ऊपर दिए गए प्रस्तुतिकरणों के समर्थन में और मौखिक और लिखित प्रस्तुतिकरण देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
31. यह कि इन विसम्मति प्रस्तावों/ज्ञापन/आपत्तियों और इसके अनुलग्नकों को कृपया रिकॉर्ड में रखा जाए और इन्हें प्रारूप प्रस्ताव के साथ प्रकाशित करवाया जाए।

इसी संदर्भ में और दिए गए प्रस्तुतिकरणों तथा संलग्न किए गए अनुलग्नकों एवं माननीय आयोग द्वारा यथा अनुमत्य किए जाने वाले प्रस्तुतिकरणों को ध्यान में रखते हुए अत्यंत सम्मानपूर्वक यह विनती की जाती है:

कि माननीय आयोग उपर्युक्त पैरा 1 से 31 में दिए गए अकाट्य और सुस्पष्ट प्रस्तुतिकरणों को ध्यान में रखते हुए कृपया जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता और प्राधिकार को चुनौती देने वाली अनेक रिट याचिकाओं के अंतिम न्याय निर्णय और निपटान होने तक तत्काल परिसीमन कवायद को रोक दे।

आधार पत्र 1-6, जिसमें विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन का प्रस्ताव है, उसे इस मामले में कोई भी आगे कार्रवाई किए बिना अथवा किसी भी तरीके से इन प्रस्तावों पर कोई भी कार्यवाही किए बिना वापस लिया जाए।

सादर,

दिनांक: 04/03/2022

ह./-

डॉ. फारूक अब्दुल्ला,
सांसद, श्रीनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

ह./-

श्री मोहम्मद अकबर लोन,
सांसद, बारामूला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

ह./-

श्री हसनैन मसूदी,
सांसद, अनंतनाग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

अध्यक्ष

परिसीमन आयोग

तीसरी मंजिल, अशोक होटल

चाणक्यपुरी, नई दिल्ली - 110021

विषय: जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में विसम्मति प्रस्ताव।

माननीय,

आपके पत्र संख्या 282/जेएण्डके/2022 (डीईएल) दिनांक 25 फरवरी, 2022 के संबंध में, मैं संशोधित प्रस्ताव अग्रेषित कर रहा हूँ जिसमें विधानसभा खण्डों के परिसीमन के संबंध में सुझाव दिए गए हैं। मैं विनम्रतापूर्वक परिसीमन आयोग से निम्नलिखित सुझावों पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ:

- नव प्रस्तावित "अनंतनाग-राजौरी" संसदीय सीट को कृपया "अनंतनाग-पुंछ" संसदीय सीट के रूप में नामित किया जाए।
- "शोपियां" विधानसभा खण्ड अनंतनाग और राजौरी पुंछ के बीच अवस्थित है, इसलिए शोपियां को कृपया अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट में शामिल किया जाए और "बिजबेहरा" विधानसभा खण्ड को कृपया श्रीनगर संसदीय सीट में शामिल किया जाए क्योंकि यह बिलकुल श्रीनगर से जुड़ा हुआ है।

जिला जम्मू

- 1- "बहू" विधानसभा खण्ड का नाम बदलकर "बहू लोचन" विधानसभा क्षेत्र कर दिया जाना चाहिए।
- 2- "जम्मू पूर्व" विधानसभा खण्ड का नाम बदलकर "जम्मू तवी" विधानसभा खंड कर दिया जाना चाहिए। तवी नदी जम्मू शहर से होकर बहती है। यह एक पवित्र नदी है और लोगों की इस नदी में बहुत आस्था है। इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, इस सीट का नाम बदलकर "जम्मू तवी" सीट कर दिया जाए।
- 3- "जम्मू उत्तर" विधानसभा खण्ड का नाम बदलकर "मुठी-डोमाना" विधानसभा खण्ड कर दिया जाना चाहिए।
- 4- "मैरा मंडारियन" और "चौकी चौरा" तहसीलों को कृपया खौर विधानसभा खंड से बाहर रखा जाए और इन्हें अखनूर विधानसभा खण्ड में शामिल किया जाए।
- 5- "परगवाल" तहसील को कृपया अखनूर विधानसभा खण्ड से बाहर रखा जाए और खौर विधानसभा क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए।

जिला सांबा

- 1- "कतली" संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को रामगढ़ विधानसभा खण्ड से बाहर रखा जाए और सांबा विधानसभा खण्ड में शामिल किया जाए।
- 2- "राजपुरा" तहसील को रामगढ़ विधानसभा खण्ड से बाहर रखा जाए और सांबा विधानसभा खण्ड में शामिल किया जाए।

जिला राजौरी

- 1- "दरहल" विधानसभा खंड का नाम बदलकर कृपया "बुधल विधानसभा" खंड कर दिया जाए। (तहसील कोटरंका और तहसील खवास)
- 2- "दरहल" तहसील को कृपया दरहल विधानसभा खंड से बाहर रखा जाए और थानामंडी विधानसभा खंड में शामिल कर लिया जाए।
- 3- "फतेहपुर" संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को कृपया राजौरी विधानसभा खण्ड से बाहर रखा जाए और "थानामंडी" विधानसभा खंड में शामिल कर लिया जाए।

आदरणीय,

पत्र संख्या 282/जेएण्डके/2022(डीईएल) दिनांक: 25/02/2022 के संदर्भ में मेरे विसम्मत् नोट को कृपया आयोग के प्रारूप प्रस्ताव के साथ प्रकाशित किया जाए।

धन्यवाद,

सादर,

ह./-

जुगल किशोर शर्मा
संसद सदस्य
लोकसभा, जम्मू।

To Be Published in an Extraordinary Issue of
The Gazette of India, Part II Section 3 (iii)
Dated 14th March, 2022.
To be published In an Extraordinary Issue of
the Union Territory of Jammu & Kashmir
Gazette Dated. 14th March, 2022.

DELIMITATION COMMISSION

Ashoka Hotel, 50-B, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021.

No,282/J&K/2022(Vol.II)


Dated : 14th March 2022
23 Phalgun, 1943 (Saka)

ORDER NO - 1

In pursuance of Section 8 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002) read with Sections 14(4), 60(1) & 62 of The Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) and having regard to all other relevant Constitutional and statutory provisions in this regard, the Delimitation Commission hereby determines –

- a) the total number of seats to be allocated to the Union Territory of Jammu & Kashmir in the House of the People as Five (5);
- b) of the total number of Five (5) seats so allocated to the Union Territory of Jammu & Kashmir in the House of the People, the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as Zero (0) and Zero (0) respectively;
- c) the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu & Kashmir as Ninety (90);
- d) of the total number of Ninety (90) seats so assigned to the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu & Kashmir, the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes as Seven (7) and Nine (9) respectively.

By Order,



(K.N. Bhar)
SECRETARY

To Be Published in an Extraordinary Issue of The Gazette of India, Part II Section 3 (iii) Dated

To be published In an Extraordinary Issue of the Union Territory of Jammu & Kashmir Gazette Dated

DELIMITATION COMMISSION

Ashoka Hotel, 50-B, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021

No.282/J&K/2022(Vol.II)

Dated : 14th March, 2022
23 Phalgun , 1943 (Saka)

NOTIFICATION

In pursuance of sub-section (5) of Section 60 of The Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), read with sub section 2 of section 9 of the Delimitation Act, 2002, the Delimitation Commission hereby publishes its proposals for the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the Union Territory of Jammu & Kashmir, together with the dissenting proposals of the Associate Members, and specifies 21st March, 2022 (Monday) as the date on or after which the proposals will be further considered by it.

2. Any objections or suggestions in regard to these proposals should reach the **Secretary, Delimitation Commission, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001**, on or *before* the said date.

PROPOSALS

- (i) The territorial constituencies into which the Union Territory of Jammu & Kashmir shall be divided for the purpose of elections to (a) the Legislative Assembly of the Union Territory, and (b) the House of the People, the extent of each such constituency and the constituencies in which the seats are reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be as shown in the **Table-A and Table-B** respectively;
- (ii) Where the name of a constituency as shown in Table A or Table B is distinguished by the brackets and letters (SC), the seat in that constituency is reserved for the Scheduled Castes;
- (iii) Where the name of a constituency as shown in Table A or Table B is distinguished by the brackets and letters (ST), the seat in that constituency is reserved for the Scheduled Tribes.

(Here print the matter attached)

By Order,



(K.N. Bhar)
SECRETARY

TABLE-A
ASSEMBLY CONSTITUENCIES AND THEIR PROPOSED EXTENT

S.No.	Name of Assembly Constituency	Extent
1-DISTRICT : KUPWARA		
1	Karnah	Karnah Tehsil and Kralpora Tehsil (Part) – Gundzонаreshi and Panzgam PCs.
2	Trehgam	Trehgam and Keran Tehsils, Kralpora Tehsil (Part) –Excluding Gundzонаreshi and Panzgam PCs and Kupwara Tehsils (Part) -3-Gulgam and 4-Awoora PCs.
3	Kupwara	Kupwara Tehsil (Part) – Excluding 3-Gulgam and 4-Awoora PCs.
4	Lolab	Sogam (Lolab), Lalpora and Machil Tehsils.
5	Handwara	Vilgam, Dragmulla, Zachaldara and Tarathpora (Ramhal) Tehsils and Handwara (Part) – Bakaiaker, Handwara, Shoghpora, Wadipora. Sirajapora and Badkote Machipora PCs.
6	Langate	Qaziabad (Kralgund), Langate and Qalamabad Tehsils and Handwara (Part) – Excluding Bakaiaker, Handwara, Shoghpora, Wadipora. Sirajapora and Badkote Machipora PCs.
2-DISTRICT : BARAMULLA		
7	Sopore	Sopore and Dangerpora Tehsils.
8	Rohama Rafiabab	Zainger, Watergam, Rohama and Dongiwacha Tehsils.
9	Uri	Uri and Boniyar Tehsils.
10	Baramulla	Narvaw and Baramulla Tehsils.
11	Tangmarg	Tangmarg, Wagoora, Kreeri and Khoie Tehsils.
12	Kunzer	Kwarhama and Kunzer Tehsils, Pattan Tehsil (Part) - 6-Wanigam Payeen, 7- Wanigam Bala, 8–Tilgam and 9- Tapper Waripora PCs.
13	Pattan	Singpora Tehsil and Pattan Tehsil (Part) – Excluding 6-Wanigam Payeen, 7- Wanigam Bala, 8 –Tilgam and 9- Tapper Waripora PCs.

3-DISTRICT : BANDIPORA		
14	Sonawari	Sonawari Tehsil, Sumbal Municipality 2 (Urban Local Body), Ajas Tehsil, Hajin Tehsil and Hajin Municipality 3 (Urban Local Body).
15	Bandipora	Aloosa and Bandipora Tehsils and Bandipora Municipality 1 (Urban Local Body).
16	Gurez (ST)	Gurez and Tulail Tehsils.
4-DISTRICT : GANDERBAL		
17	Kangan (ST)	Kangan and Gund Tehsils, Forest Block Kangani Gund and Lar Teshil (Part) – Watlar PC.
18	Ganderbal	Tulmulla (Kheer Bhawani), Wakoora and Ganderbal Tehsils and Lar Teshil (Part) – Excluding Watlar PC.
5-DISTRICT : SRINAGAR		
19	Hazratbal	North Srinagar Tehsil.
20	Khanyar	Khanyar Tehsil (Part) - Excluding 9- S.R. Gunj and 10- Brari Nambal PCs.
21	Habbakadal	South Srinagar Tehsil (Part) - Excluding 1-Sonwar, 2- Maisuma, 4- Shivpora, 5- Kursoo Padshahi Bagh, 9- Naursingh Garh and 10- Barzulla PCs and Khanyar Tehsil (Part) - 9- S.R. Gunj and 10- Brari Nambal PCs.
22	Sonwar	Pantha Chowk Tehsil and South Srinagar Tehsil (Part) – 1- Sonwar, 2- Maisuma, 4- Shivpora, 5- Kursoo Padshahi Bagh, 9- Naursingh Garh and 10- Barzulla PCs.
23	Channapora	Channapora Tehsil.
24	Zoonimar	Eidgah Tehsil (Part) – 1- Buchpora, 2- Umerhair, 3- Zoonimar, 4- Owanta Bawan, 5- Baghat Shooru and 6- Anchar PCs.
25	Eidgah	Eidgah Tehsil (Part) –Excluding 1- Buchpora, 2- Umerhair, 3- Zoonimar, 4- Owanta Bawan, 5- Baghat Shooru and 6- Anchar PCs.
26	Central Shalteng	Central Shalteng Tehsil.
6- DISTRICT : BUDGAM		
27	Budgam	Narbal Tehsil and Budgam Tehsil (Part) –Excluding Ichkoot and Gudsathoo PCs.

28	Beerwah	Magam and Beerwah Tehsils.
29	Khansahib	Khag and Khansahib Tehsils.
30	Chrarr-i-Sharief	Chrarr-i-Sharief Tehsil and Chadoora Tehsil (Part) –Excluding 2- Ropora Namtihal, 3-Wathoor, 4- Batapora, 5- Dawletpora, 6-Wadipora, 14- Hayatpora PCs, Municipal Committee Chadoora, Budgam Tehsil (Part) – Ichkoot and Gudsathoo PCs.
31	Chadoora	B.K. Pora Tehsil and Chadoora Tehsil (Part) – 2- Ropora Namtihal, 3- Wathoor, 4-Batapora, 5- Dawletpora, 6- Wadipora, 14- Hayatpora PCs and Municipal Committee Chadoora.
7-DISTRICT : PULWAMA		
32	Pampore	Pampore and Kakapora Tehsils, Pampore Municipality / Town and Khrew Municipality / Town.
33	Tral	Tral and Aripal Tehsils, Tral Municipality / Town, Awantipora Tehsil (Part) –1- Awantipora, 5- Noorpora and 6- Midoora PCs and Awantipora Municipality / Town.
34	Pulwama	Pulwama Tehsil (Part) – Excluding 2- Kangan, 5- Murran, 6- Mitrigam, 7- Karimabad, 11- Bunoora and 16- Wahibugh PCs, Pulwama Municipality / Town, Awantipora Tehsil (Part) – Excluding 1- Awantipora, 5- Noorpora and 6- Midoora PCs.
35	Rajpora	Litter Shahoora Tehsil, Rajpora Tehsil, Pulwama Tehsil (Part) – 2- Kangan, 5- Murran, 6- Mitrigam, 7- Karimabad, 11- Bunoora and 16- Wahibugh PCs.
8-DISTRICT : SHOPIAN		
36	Zainapora	Zainapora, Chitragam, Barbugh Imamsahib and Hermain Tehsils, Shopian Tehsil (Part) – Dangerpora, Trenz, Kilora Malikgund, Nadigam, Ganowpora Arsh, Dangam, Pratabpora and Bemnipora PCs.
37	Shopian	Keller and Keegam Tehsil , Shopian Tehsil (Part) - Excluding – Dangerpora, Trenz, Kilora Malikgund, Nadigam, Ganowpora Arsh, Dangam, Pratabpora and Bemnipora PCs.
9- DISTRICT : KULGAM		
38	D.H. Pora	D.H. Pora and Pahloo Tehsils.
39	Kulgam	Kulgam and Yaripora Tehsils.
40	Devsar	Qaimoh, Frisal and Devsar Tehsils.
10-DISTRICT : ANANTNAG		

41	Dooru	Dooru and Shahabad Tehsils, Kokernag Tehsil (Part) – Bahie, Oie Bumdoora, Akingam, Sagam and Nagam PCs.
42	Kokernag (ST)	Lernoo Tehsil, Kokernag Tehsil (Part) –Excluding Bahie, Oie Bumdoora, Akingam, Sagam and Nagam PCs and Shangus Tehsil (Part) – Chaklipora, Chittergul and Uttarsoo PCs.
43	Anantnag West	Qazigund Tehsil, Anantnag Tehsil (Part) – C- Khanabal, E- Ruhoo, F- Urhanhall, G- L.G. Pora, H- Khandipahari, I- K.G. Raina, J- Nipora, K- Hardu Sichaen, L- Kamad, M- Shaibabad and N- Imoh PCs.
44	Anantnag	Anantnag Tehsil (Part) – Excluding C- Khanabal, E- Ruhoo, F- Urhanhall, G- L.G. Pora, H- Khandipahari, I- K.G. Raina, J- Nipora, K- Hardu Sichaen, L- kamad, M- Shaibabad and N- Imoh PCs.
45	Bijbehra	Bijbehra Tehsil
46	Shangus-Anantnag East	Anantnag East Tehsil, Shangus Tehsil (Part) – Excluding Chaklipora, Chittergul and Uttarsoo PCs.
47	Pahalgam	Pahalgam, Sallar and Srigufwara Tehsils.
11-DISTRICT : KISHTWAR		
48	Inderwal	Bounjwah, Chhatroo, Marwah and Warwan Tehsils, Kishtwar Tehsil (Part) – Keshwan PC, Mughalmaidan Tehsil (Part) – Excluding Mulchiter PC and Drabshalla Tehsil (Part) – Balgran PC.
49	Kishtwar	Dachhan Tehsil, Drabshalla Tehsil (Part) - Excluding Balgran PC and Kishtwar Tehsil (Part) – Excluding Dool, Pocchal and Keshwan PCs and Mughalmaidan Tehsil (Part) – Mulchiter PC.
50	Padder	Atholi, Nagseni and Machail Tehsils, Kishtwar Tehsil (Part) –Dool and Pocchal PCs.
12-DISTRICT : DODA		
51	Bhaderwah	Bhaderwah, Chiralla, Bhella and Bhalla Tehsils, Kahara Tehsil (Part) – Joura PC, Bhalesa Tehsil (Part) – Excluding Chilly PC and Thathri Tehsil (Part) – Excluding Janglawar Partially PC.
52	Doda	Chilly Pingal, Gundna, Mohalla, Phigsoo and Bharath Bagla Tehsils, Doda Tehsil (Part) –Doda, Arnorra, Dhar, Doda MC, Udhyanpur (Partially) and Dhara PCs, Thathri Tehsil (Part) – Janglawar Partially, Kahara Tehsil (Part) – Excluding Joura PC and Bhalesa Tehsil (Part) – Chilly PC.

53	Doda West	Marmat, Assar, Kastigarh and Bhagwah Tehsils, Doda Tehsil (Part) – Excluding Doda, Arnorra, Dhar, Doda MC, Udhyanpur (Partially) and Dhara PCs.
13-DISTRICT : RAMBAN		
54	Ramban	Batote and Rajgarh Tehsils Ukhral Tehsil (Part) – Excluding Pogal PC, Ramban Tehsil (Part) – Excluding Somber- Harog PC.
55	Banihal	Banihal, Khari, Gool and Ramsoo Tehsil, Ukhral Tehsil (Part) – Pogal PC, Ramban Tehsil (Part) – Somber- Harog PC.
14-DISTRICT : REASI		
56	Mahore (ST)	Mahore and Chassana Tehsils, Thuroo Tehsil (Part) – Excluding Kanthi PC.
57	Reasi	Pouni, Thakrakote and Arnas Tehsils, Reasi Tehsil (Part) – Excluding Bhabar Brahmana, Bhaga Kotli and Kotli Bajalian PCs and Thuroo Tehsil (Part) – Kanthi PC.
58	Shri Mata Vaishno Devi	Katra and Bhomag Tehsils, Reasi Tehsil (Part) – Bhabar Brahmana, Bhaga Kotli and Kotli Bajalian PCs.
15-DISTRICT : UDHAMPUR		
59	Udhampur West	Moungri and Panchari Tehsils, Udhampur Tehsil (Part) – Sambal, Barrian, Jib, Rehmbal, Padanoo, Barolla, Hartarian, Muttal, Chak Rakhwalan, Mali, Bishal Jattan, Udhampur Municipal Council, Mansar, Krimchi, Tirshi, Debriah, Samundrani, Chakher, Sial Jattan, Kotli Jijan, Mangiote, Tope, Sangoor and Sansoo PCs.
60	Udhampur East	Majalta Tehsil, Udhampur Tehsil (Part) – Excluding Sambal, Barrian, Jib, Rehmbal, Padanoo, Barolla, Hartarian, Muttal, Chak Rakhwalan, Mali, Bishal Jattan, Udhampur Municipal Council, Mansar, Krimchi, Trishi, Debriah, Samundrani, Chakher, Sial Jattan, Kotli Jijan, Mangiote, Tope, Sangoor, Sansoo, Bali, Manta, Ladha, Samroli, Chirdi, Jakhain, Ossu, Pakhlai, Omala and Laddan PCs and Ramnagar Tehsil (Part) – Kogarmarh PC.
61	Chenani	Chenani Tehsil, Latti Tehsil (Part) – Pachound, Latti and Sira PCs, Ramnagar Tehsil (Part) – Ghordi, Nallah Ghouran, Hartaryan, Dhandhal and Barmeen Pcs and Udhampur Tehsil (Part) – Bali, Manta, Ladha, Samroli, Chirdi, Jakhain, Ossu, Pakhlai, Omala and Laddan PCs.

62	Ramnagar (SC)	Basantgarh Tehsil, Ramnagar Tehsil (Part) – Excluding Ghordi, Nallah Ghouran, Hartaryan, Dhandhal, Kogarmarh and Barmeen PCs. and Latti Tehsil (Part) – Excluding Pachound, Latti and Sira PCs.
16-DISTRICT : KATHUA		
63	Bani	Bani and Lohai Malhar Tehsils.
64	Billawar	Billawar and Ramkot Tehsils.
65	Basohli	Basohli and Mahanpur Tehsils, Kathua Tehsil (Part) – 2- Basantpur and 27- Thein PCs.
66	Kathua North	Dinga Amb Tehsil, Kathua Tehsil (Part) – 1- Barwal, 3- Bhurthain, 4- Budhi, 5- Chak Sakta, 9- Forelain, 11- Hatli, 14- Juthana, 15- Kathera, 19- Logate, 21- Nanan, 22- Phalote, 26- Taraharah and 28- Tridwan PCs and Marheen Tehsil (Part) – 1- Amala, 2- Balhar, 3- Bann, 4- Chhan Rorian, 5- Dhamal. 14- Hamirpur, 15- Jogial, 17- Kishanpur Kandi, 23- Muthi Hardo and 26- Seswan PCs.
67	Kathua South (SC)	Nagri Tehsil and Kathua Tehsil (Part) – Excluding 1- Barwal, 3- Bhurthain, 4- Budhi, 5- Chak Sakta, 9- Forelain, 11- Hatli, 14- Juthana, 15- Kathera, 19- Logate, 21- Nanan, 22- Phalote, 26- Taraharah, 28- Tridwan 2- Basantpur and 27- Thein PCs.
68	Hiranagar	Hiranagar and Marheen Tehsil (Part) – Excluding 1- Amala, 2- Balhar, 3- Bann, 4- Chhan Rorian, 5- Dhamal. 14- Hamirpur, 15- Jogial, 17- Kishanpur Kandi, 23- Muthi Hardo and 26- Seswan PCs.
17-DISTRICT : SAMBA		
69	Ramgarh (SC)	Ramgarh and Rajpura Tehsils and Samba (Part) – Katli, Ramnagar and Pangdhor PCs.
70	Samba	Ghagwal Tehsil, Samba Tehsil (Part) – Excluding Katli, Ramnagar and Pangdhor PCs and Vijaypur Tehsil (Part) – Dagore and Gurah Salathia PCs.
71	Vijaypur	Bari Brahmna Tehsil and Vijaypur Tehsil (Part) – Excluding Dagore and Gurah Salathia PCs.

18-DISTRICT : JAMMU		
72	Bishnah (SC)	Bishnah and Arnia Tehsils, R.S. Pura Tehsil (Part) – Maralian PC.
73	Suchetgarh (SC)	Suchetgarh Tehsil, R.S. Pura Tehsil (Part) – Excluding Maralian, Darsopur, R.S. Pura Khas and Kotli Shah Doula PCs, MC R.S. Pura.
74	R.S. Pura-Jammu South	Jammu South Tehsil (Part) – Gadigarh, Satwari, Hakkal Partly, Khandwal Partly and Digiana PCs, Jammu Municipal Corporation (Part) – Ward no. 22, 23, 55, 56, 57, 58 and 73, Bahu (Part) - Chowadi PC, Ward no. 68, 69 & 70 and R.S. Pura Tehsil (Part) – Darsopur, R.S. Pura Khas and Kotli Shah Doula PCs, MC R.S. Pura.
75	Bahu	Bahu Tehsil (Part) – Bahu, Sunjwan and Bahu Partly PCs including JMC Ward no. 20, 21, 42, 43,44, 47,48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 & 74 and Jammu South Tehsil (Part) – Ward no. 45 & 46, Jammu Cantt.
76	Jammu East	Jammu Tehsil (Part) – Bain Bajal and Aitham PCs, Nagrota Tehsil (Part) – Jagti PC and Jammu MC (Part) – Ward No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,15, 16, 17, 18, 19 & 71.
77	Bhalwal - Nagrota	Dansal Tehsil, Bhalwal Tehsil (Part) – Excluding Bhalwal Partially PC and Kote PC, Nagrota Tehsil (Part) – Excluding Jagti PC Jammu Tehsil (Part) – Surinsar, Sagoon and Pounthal PCs.
78	Jammu West	Jammu Municipal Corp. (Part) – Ward No.- 12, 13 , 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40 & 41and Jammu West (Part) – Mandal (Partly) and Gole PCs.
79	Jammu North	Jammu North Tehsil including JMC Ward No. 37, 38, 59 to 67 Jammu (Part) – Ward no. 34 to 36 and Bhalwal Tehsil (Part) – Bhalwal Partially and Kote PCs.
80	Marh (SC)	Mandal Tehsil, Marh Tehsil including JMC Ward No. – 72 & 75, Jammu West Tehsil(Part) – Badhrore PC.
81	Akhnoor (SC)	Akhnoor, Pargwal and Jourian Tehsils.
82	Khour	Khour, Kharah Balli, Maira Mandrian and Chowki Choura Tehsils.
19-DISTRICT : RAJOURI		
83	Kalakote / Sunderbani	Sunderbani, Kalakote, Taryath and Siot Tehsils.
84	Nowshera	Qila Darhal, Beri Pattan and Nowshera Tehsils.
85	Rajouri (ST)	Rajouri Tehsil (Part) – Excluding 11- Sohna PC.
86	Darhal (ST)	Darhal, Koteranka and Khawas Tehsils.

87	Thana Mandi (ST)	Thana Mandi and Manjakote Tehsils, Rajouri Tehsil (Part) – 11- Sohna PC.
20-DISTRICT : POONCH		
88	Suran Kote (ST)	Suran Kote Tehsil, Haveli Tehsil (Part) – Khaneter, Seri Khawaja and Seindhara PCs.
89	Poonch Haveli	Mandi Tehsil, Haveli Tehsil (Part) – Excluding Khaneter, Seri Khawaja and Seindhara PCs.
90	Mendhar (ST)	Balakote, Mankote and Mendhar Tehsils.

TABLE – B
PARLIAMENTARY CONSTITUENCIES AND THEIR PROPOSED EXTENT

S.No. and Name of Parliamentary Constituency	EXTENT IN TERMS OF ASSEMBLY CONSTITUENCY
1-Baramulla	1-Karnah, 2-Trehgam, 3-Kupwara, 4-Lolab, 5-Handwara, 6-Langate, 7-Sopore, 8-Rohama Rafiabab, 9-Uri, 10-Baramulla, 11-Tangmarg, 12-Kunzer, 13-Pattan, 14-Sonawari, 15-Bandipora, 16-Gurez (ST), 27-Budgam & 28-Berwah.
2-Srinagar	17-Kangan (ST), 18-Ganderbal, 19-Hazratbal, 20-Khanyar, 21- Habbakadal, 22-Sonwar, 23-Channapora, 24-Zoonimar, 25-Eidgah, 26-Central Shalteng, 29-Khansahib, 30-Chrar-i-Sharief, 31-Chadoora, 32-Pampore, 33-Tral, 34-Pulwama, 35-Rajpora & 37-Shopian.
3-Anantnag-Rajouri	36-Zainapora, 38-D.H. Pora, 39-Kulgam, 40-Devsar, 41-Dooru, 42-Kokernag (ST), 43-Anantnag West, 44- Anantnag, 45-Bijbehra, 46-Shangus-Anantnag East 47-Pahalgam, , 84-Nowshera, 85 – Rajouri (ST) 86 –Darhal (ST), 87 –Thana Mandi (ST), 88 –Suran Kote (ST), 89-Poonch Haveli (ST) & 90-Mendhar (ST).
4-Udhampur	48-Inderwal, 49-Kishtwar, 50-Padder, 51- Bhaderwah 52-Doda, 53- Doda West, 54-Ramban, 55-Banihal, 59-Udhampur West, 60-Udhampur East, 61-Chenani, 62-Ramnagar (SC), 63-Bani, 64-Billawar, 65-Basohli, 66-Kathua North 67- Kathua South (SC) & 68-Hiranagar.
5-Jammu	56-Mahore (ST), 57-Reasi, 58-Shri Mata Vaishno Devi, 69- Ramgarh (SC), 70-Samba, 71-Vijaypur, 72-Bishnah (SC) 73-Suchetgarh (SC), 74-R.S. Pura - Jammu South. 75-Bahu, 76-Jammu East, 77-Bhalwal-Nagrota, 78-Jammu West, 79-Jammu North, 80-Marh (SC), 81-Akhnour (SC), 82-Khour & 83-Kalakote / Sunderbani.

DISSENTING PROPOSALS RECEIVED FROM ASSOCIATES MEMBERS

{}

Hon'ble Chairperson and Hon'ble Members

Delimitation Commission of India

Ashoka Hotel, 3rd Floor Chanakyapuri, New Delhi - 110021

SUBJECT

Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in respect of UT of Jammu & Kashmir. Draft Working Papers/Draft Proposal dated February 25th February, 2022 made available on February 26th, 2022.

IN THE MATTER OF

Dissenting Proposal / Objections to Draft Working Papers/Draft Proposal dated February 25th February, 2022 made available on February 26th, 2022.

BACKGROUNDFACTS

1. To understand objection to the very constitution of Delimitation Commission for Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in respect of UT of Jammu and Kashmir and to the Delimitation exercise undertaken by the Commission, a closer look at its recent history and background facts is necessary.
2. The State of Jammu and Kashmir (now downgraded to a UT under a constitutionally suspect law impugned before Hon'ble Supreme Court) was on 15th August 1947, free from its Treaty obligations towards British and acquired status of an independent State. Its Ruler called Maharaja was repository of all legislative, executive and judicial powers under the Jammu and Kashmir Constitution Act, 1939. The Ruler did not join either of the two Dominions emerging on 15th August 1947 and instead nursed idea to stay independent with good relations with the both. He, however, on 27th October 1947 decided to accede to the Dominion of India on three subjects – defense, foreign affairs and communications, retaining jurisdiction over all the remaining subjects. The accession was accepted and so were the terms set out in the Instrument of Accession. The Constitution of India was in making and it was decided to incorporate in the Constitution, a provision to guarantee 'limited sovereignty' to Jammu & Kashmir promised while accepting accession. The constitutional guarantee came in shape of Article 370 of the Constitution. The Ruler on 17th November 1949 ratified the Constitution of India though only to the extent applicable to the State. Pertinent to note that on the date, the Constitution commenced

only Article 370 and by virtue of it, Article 1 were applicable to the State. The Article 370 while laying down mechanism for distribution of powers between Union and State Governments also provided for a constituent assembly to draft separate constitution for the State, to inter alia delineate the jurisdiction of Union and State governments.

3. The State Constituent Assembly was convened in April 1951. However, a few urgent constitutional matters like citizenship, monarchy, fundamental rights, residuary powers could not wait drafting and commencement of the State Constitution and required immediate resolution. The Union Government and State Government accordingly entered into an agreement known as Delhi Agreement in 1952 dealing with all these important matters. The Delhi Agreement was approved by the Parliament on 7th August 1952 and the State Constituent Assembly on 18th August 1952. The Agreement while extending citizenship, fundamental rights, jurisdiction Supreme Court, Emergency Powers etc. guaranteed residuary sovereignty or internal autonomy to the State. The State was guaranteed jurisdiction to legislate on all subjects not conceded to the Union. The Article 370 thus alone did not guarantee special constitutional status to Jammu and Kashmir but the special status or internal autonomy to Jammu and Kashmir was independent of Article 370 also guaranteed by Delhi Agreement 1952. The Constituent Assembly adopted the State Constitution on 26th November 1956. It came into force on 26th January 1957. The commencement of State Constitution was hailed by senior political leaders across the political spectrum. The State Constitution reiterated and provided for internal autonomy also known as special constitutional status to Jammu and Kashmir.
4. The Delimitation of Assembly Constituencies under the mechanism evolved to govern constitutional relations between Union and State fell within exclusive domain of the State. The Part VI of the State Constitution deals with "The State Legislature - Composition of The State Legislature". Section 47(3) of the State Constitution reads: 47(1).....(2).....(3) Upon the completion of each census, the number, extent and boundaries of the territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as the Legislature may by law determine; Provided that such readjustment shall not affect representation in the Legislative Assembly until the dissolution of the then existing Assembly.
5. The State Legislature in exercise of powers under Section of 47 of the State Constitution enacted Jammu and Kashmir Representation of Peoples Act 1957. The Act provided for constitution of Delimitation Commission for Delimitation of the territorial constituencies upon completion of each census. In exercise of powers under the Jammu and Kashmir Representation of Peoples Act, 1957 the Delimitation Commission was constituted in 1963, 1973 and 1995, the Delimitation exercised made and Assembly seats delimited. In wake of amendment to Article 170 and addition of Proviso providing that the delimitation of Assembly Constituencies is not to be undertaken

“until the figures for first census taken after the year 2026 have been published” identical amendment was made to State Constitution followed by amendment to Section 3 of the Jammu and Kashmir Representation Act, 1957. The delimitation exercise was thus like rest of country to be undertaken after 2031 census figures were available.

6. The President on 5th August 2019 passed The Constitutional (Application to Jammu and Kashmir) Order C.O. 272 superseding the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order 1954 and applying the Constitution of India in its entirety to the State. The Order C.O. 272 was followed by C.O. 273 declaring that all the clauses of Article 370 shall cease to be operative except the clause making all the provisions of the Constitution applicable to the State. The Rajya Sabha on 5th August 2019 passed Jammu and Kashmir (Reorganisation) Bill, 2019 bifurcating the State into two Union Territories. The Act was notified on 9th August 2019. The C.O. 272 of 5th August 2019, C.O. 273 of 6th August 2019 and Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 denuded the State of Jammu and Kashmir of its special constitutional status and downgraded and fragmented the State of Jammu and Kashmir into two Union Territories. The Jammu and Kashmir Reorganisation was also made a device to repeal a few hundred State laws including the Jammu and Kashmir Representation of Peoples Act, 1957 and application of more than a hundred Central Laws including The Delimitation Act, 2002 to the new Union Territory.
7. All steps taken on 5th and 6th August 2019 namely C.O. 272, C.O. 273 and Jammu and Kashmir Reorganisation Act being grossly unconstitutional trampling upon the letter and spirit of the Constitution and unable stand judicial scrutiny, the Orders and the Act have been questioned in as many 10 petitions most of these petitions filed in August 2019 itself, before the Hon’ble Supreme Court. The petitioners on cogent and convincing constitutional grounds have questioned vires of the C.O. 272 and C.O. 273 Orders and the Reorganisation Act 2019. The Hon’ble Supreme Court has been pleased to entertain and admit the Petitions and refer the Petitions to Five Judge Constitutional Bench of the Hon’ble Court. The Hon’ble Five Judge Constitutional Bench has ordered clubbing of all these petitions, heard the matter a few times but the hearing thereafter was not possible and got delayed due to covid –19 Pandemic. The physical hearing having been resumed, the matters are expected to come up and be heard in near future.

THRESHOLD OBJECTIONS

8. The Hon’ble Delimitation Commission cannot lose sight of the fact that the application of law under which the Commission is constituted and the law the Commission is to apply and whereunder the Commission derives its powers are constitutionally suspect law inasmuch their vires or constitutionality is under judicial scrutiny of the topmost Constitutional Court of the Country. The fundamental principles of Constitutional ethics, morality and propriety in a

Constitutional democracy governed by rule of law like ours require all the limbs of the State, all the State functionaries and government and semi-government statutory bodies and institutions including this Hon'ble Commission not to implement, act upon or exercise powers under a law under judicial scrutiny, the constitutional validity and vires whereof are being examined by the Hon'ble Supreme Court. The Hon'ble Chairperson of the Commission a known legal luminary of the Country having adored the Bench, is well aware of basic principle that implementation of law impugned before the Hon'ble Supreme Court on the ground of ultra vires and unconstitutionality and under scrutiny by the constitution bench is to be avoided as its implementation while under challenge may border on disregard and preempt the verdict. The Hon'ble Commission therefore in our humble opinion must not go ahead with present Delimitation exercise and wait for the judgment of Hon'ble Supreme Court.

9. The Hon'ble Commission constituted under Delimitation Act, 2002 is called upon to delimit the constituencies of the Union Territory of Jammu and Kashmir in accordance with Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019. Hon'ble Commission may kindly appreciate that petitions pending before the Hon'ble Supreme Court would amongst others call for answer to the questions: Whether downgrading a State and dividing a State into two or more Union Territories is permissible under the Constitution. We need to be reminded that under the Constitution of India is a Union of States. Whether dismembering a State would result in loss of its status and identity – a far serious issue for the federal character of the Country, held to be basic structure of the Constitution by the Hon'ble Supreme Court and therefore would be impermissible and unconstitutional. Whether it was permissible for the President to suspend, in exercise of extraordinary and emergency powers under Article 356, Article 3 provisions 1 and 2 when the suspended provisions were unrelated to carrying on smooth administration during the presidential rule. Whether the constitutional safeguards and constitutional procedure involved in exercise of powers under Article 3 were adhered to and strictly followed, if at all the division and downgrading of the State is assumed though not admitted to be possible. Whether repeal of the Jammu and Kashmir Representation of Peoples Act, 1957 was in accordance of law and whether application of Delimitation Act 2002 to Jammu and Kashmir was permissible under law. Whether Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019 has been passed in violation of the Constitution.
10. The above and all like questions that may arise before the Hon'ble Supreme Court while hearing the Petitions, are important jurisdictional question that go to the root of the matter and the Hon'ble Commission taking due note of these important issues, must stop proceeding with the exercise and await judicial verdict in the batch of Petitions impugning the C.O. 272 of 5th August 2019, 6th August 2019 and Jammu and Kashmir Reorganisation Act.

11. The Constitution of Jammu and Kashmir(State Constitution) has been framed by a duly convened Constituent Assembly in exercise of constituent power. The Constitution cannot be abrogated by the Parliament or any other authority. The State Constitution is in existence as on date. It provides for delimitation after the figures of first census after 2026 are published. The Jammu and Kashmir Representation of Peoples Act 1957 also provides for delimitation after 2031 census figures are published. The delimitation of Assembly Constituencies and Parliamentary Constituencies in the Country is to be done after the figures of first census after 2026 are published. Looking from any angle, therefore the delimitation exercise is to be deferred till 2031 census figures are published. There is no reason to single out Jammu and Kashmir for delimitation exercise, when the underlying logic and all relevant factors advocate such exerciset to be deferred till 2031 census figures are published. What is good for entire Country must be good for Jammu and Kashmir as well. The Commission must take due cognizance of this fact more so when the Commission has itself deferred delimitation exercise in Assam.
12. The argument advanced to justify the Delimitation exercise more than a decade ahead of the rest of the Country is that the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 provided for increase in number of seats and as 7increased seats were to be allocated it was necessary to embark on such exercise. The argument is specious to say the least. The Andhra Pradesh Reorganisation Act 2014 provided for increase of 50 Assembly seats in case of Andhra Pradesh and 34 Assembly seats in case of Telangana. The increase did not prompt delimitation exercise and the Assembly elections were held without fresh delimitation exercise. There is no proposal to go for any delimitation exercise ahead of the delimitation in the Country after census figures of 2031 census are available.In Assam elections were held without delimitations though the process was initiated with constitution of the Delimitation Commission. Against said backdrop, the right course would be to stop the delimitation exercise and commence it alongside such exercise in the Country after the figures of first census after 2026 are published as provided in Article 170 and envisioned in Section 47 of the State Constitution. The election to the Assembly in Jammu and Kashmir may be held as in case of Andhra Pradesh, Assam and Telangana, as per the existing delimitation.The course would also be one warranted and more than that advisable due to pending challenge to the 5th and 6th decisions before the Hon'ble Supreme Court. The Parliament in its wisdom decided to defer delimitation in entire country until 2031 census figures are published and the decision was not revised even when there were reasons as in case of Andhra Pradesh and Telanganato give it a second look, therefore same criteria must be followed in case of Jammu and Kashmir.

DETAILED OBJECTIONS

13. The objections are submitted without prejudice to our consistent stand that as constitutional validity of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019, C. O.272, C.O. 273 and other

measures taken in August 2019, are under challenge and their constitutional validity being examined by the Constitution Bench of the Hon'ble Supreme Court the present Delimitation exercise would amount to implementation of a law under judicial scrutiny and the Delimitation exercise is to be stopped till the judicial verdict is rendered by the Hon'ble Court. It is submitted that the response to Paper 1 and Paper 2-6 have gone unaddressed and only cosmetic changes have been made in the Draft Proposal. Hence the objections already submitted are to be reiterated in addition to the fresh response.

ASSEMBLY CONSTITUENCIES

14. The Delimitation of territorial constituencies after regular intervals is integral part of democracy. The democracy has its edifice on equal representation to the people in law making institutions, their equal participation through their representatives in decision making and in governance. The Delimitation exercise having regard to its importance in strengthening democracy must be fair, objective and impartial. To ensure fairness, objectivity and impartially it is important to strictly adhere to the legal frame work, prescribed criteria and in case no criteria is prescribed to lay down criteria in accordance with the settled guidelines and apply the criteria prescribed or laid down as the case may be, uniformly and not selectively. The present Delimitation exercise, it is painful to point out, is neither in tune with the Constitution nor in consonance with law. The criteria, be it allocation of 7 increased Assembly constituencies or delimiting the constituencies and drawing boundaries of the constituencies is arbitrarily fixed and selectively applied.
15. The fundamental principle behind any delimitation exercise is to ensure that every constituency has as far as possible equal population. The determining criteria therefore is population with contiguity, connectivity, communication, convenience, compact area as other considerations. This is the position emphasized in the Constitution and law a detailed reference to which has been made in response to Papers 1 to 6 and are requested to be read with these objection/dissent. However, be it the allocation of additional seats or delimiting of the Assembly constituencies these principles have been very conveniently ignore. The proposal to allocate one of 7 increased Assembly seats to Kashmir as against entitlement of 4 – 1 each for Anantnag, Budgam, Kupwara and Srinagar is bound to create inequality and disagreement between the regions.
16. It becomes necessary to revisit the statistics highlighted in previous response. The total population of Jammu and Kashmir as per 2011 Census is 1,22,67,348. The population of Kashmir Division according to Census figures is 68,88,829 and population of Jammu Division is 53,78,519. The average population per Assembly Constituency works out to be 1,36,304. The number of Assembly Constituencies to be allocated to Kashmir Divisions on the basis of 2011 Census figures and average population per Assembly Constituency must be 51 (50.54) and to

Jammu Division 39 (39.45) respectively. The number of Assembly Constituencies proposed to be allocated to Kashmir Division is 47 or 4 less than the Assembly Constituencies it deserves to have allocated and the number Assembly Constituencies allocated to Jammu is 43 or 4 more than du having regard to the population of the Division and the average population per Assembly Constituency. The Kashmir Division with 56.15% of the total population gets only 52.22% of the Assembly Constituencies and Jammu Division with 43.84% of the population gets 47.77% of Assembly Constituencies. The Kashmir Division notwithstanding more population get practically disenfranchised.

17. The categorization of the Assembly Constituencies in three group with +10%, average and -10% advocated in Paper I with 136304 as average population of an Assembly Constituency and 10% +/- deviation has been grossly violated. The Draft proposal makes deviation of up to -67%. In Kashmir Division 5 of the 10 districts have been placed in +10% category whereas in Jammu Division only 2 of the 10 districts have been categorized as +10% meaning that in 5 of 10 districts as against 2 districts of Jammu division the average population per Assembly Constituency would be 149935 as against overall average of 136304. In Kashmir Division only 1 district has been categorized as -10% whereas in Jammu Division 4 have districts been placed in -10% category implying that in Jammu Division 4 territorial areas get Assembly Constituencies though their population is less than average. The device is used to reduce the number of Assembly Constituencies in Kashmir Division and increase the number in Jammu Division, in the proposal. A hard look at proposed parameters is at this stage called for.
18. The proposal as regards Samba district and Kulgam district as already submitted is totally indefensible and warrants a closer look. The Samba district with a population of 3,16,031 and an area of 915 sq. km is proposed to be allocated 3 Assembly Constituencies with average population of 105344 i.e 31 thousand below the average and even 22 thousand below the -10% category and with the average of 305 sq Km per Assembly Constituency. Samba district surprisingly is shown as +10% category district in Paper-1 but the criteria actually applied does not match the given parameters. Kulgam district with the population of 4,24,484 is proposed to be allocated 3 Assembly Constituencies with average of 1,41,495 i.e. 5,191 above the average and with average area of 1003 sq Km per Assembly Constituency. The Kund, WaltengoNaar – the avalanche prone area, by and upper areas of D.H. Pora are tough terrain areas and large segment of the population residing in these areas suffers immense hardship. All these factors warranted Kulgam district to be placed in -10% category. Instead of this, the number of Assembly Constituencies has been reduced from 4 to 3 resulting in grave injustice to the district.
19. The Hon'ble Commission has in the first place arbitrarily devised some unknown criteria while apportioning and identifying increased 7 seats and selectively applied the criteria so fixed and

thereafter allotted seats compromising the fundamental principle of population as the main criteria. The increased seats have been arbitrarily allotted even in violation of -10% and +10 % of the average criteria fixed and notified in Paper -1. The criteria provided that while 136304 would be average population of an Assembly Segment, -10 % allowance would be given having regard to tough terrain, lack of connectivity, hardship faced by people. In such cases Assembly Constituency would be allotted for population 10% below the average. The parameters or indicators of criteria were not made known to the associate members. However, the decision as regards allocation of increased 7 seats in the ratio of 1:6 though arbitrarily and ignoring our objections, was taken before Paper-1 was circulated and response invited from associate members the comments/Objection filed on December 31, 2021 though cogent and convincing were ignored. The arbitrary allocation of increased seats for reasons other than contemplated under law and logic, have made now huge violation of fundamental principles of a delimitation exercise unavoidable.

20. The population as the first and foremost criteria of delimiting the Constituencies continues to be ignored in the draft and not given the importance it deserves. The deviation in population ranges from 56077 more than average of 136304 in case of 41-Dooru to 85025 less than average in case of 50-Paddar. There are 6 Assembly segments with less than 100,000 – 1 lac population (Paddar, Inderwal, Shri Mata Vaishnav Devi, Bani, Basohli, and Kishtwar) in Jammu Province while number of such constituencies is three (Gurez, Karnah and Kunzer). Likewise there are 20 Assembly segments with population of more 1,50,000 in Kashmir Provinces while number of such Assembly segments is 8 in case of Jammu province. TwentyFour constituencies in Kashmir Province have more than average population of 136304 while population of only eight constituencies in Jammu Province exceeds the average population of a constituency worked out by the Hon'ble Commission. The population of Dooru almost equals population of three constituencies – Paddar, Shri Mata Vaishnav Devi and Bani constituencies of Jammu. While a little less 2 lac population of Dooru will have one member in Assembly an almost equal population from aforementioned 3 constituencies shall have three members in the Assembly. The people of Dooru therefore cannot not be equal stakeholders in decision making and equal participants in governance. The Working Papers 1-6 script a storey of disempowerment and disenfranchisement of Kashmir and far flung unattended areas of Jammu. The revised draft does not at all address these gross discrepancies.
21. The Draft Proposal made available on 26th February does not at all consider the response to Paper 1- 6 submitted on 14th February 2022. When district and not State as envisioned in Article 81(2)(b) is taken as a unit, Anantnag, Budgam, Kupwara and Srinagar Districts having regard to the population and criteria of +/- 10% fixed by the Hon'ble Commission, deserve to be allotted an

extra Assembly segment each out of the seven increased seat while Rajouri, Poonch and Doda in Jammu province is to get one each. The Hon'ble Commission without any reason ignoring the just claim of Anantnag, Budgam, Srinagar and Poonch has unjustifiably allotted one each from the increased seats to Reasi, Kathua, Samba, Udhampur, Kishtwar when the criteria laid down did not make the Districts eligible for increase. Baramulla with 100 km long LoC does not get an extra seat having regard to the hardship faced by the population living along the LoC, while a suburban industrialised district with 900 sq km total area gets an extra Assembly segment in the name of proximity to International Border.

22. While to illustrate departure from law the 85 – Rajouri, 90- Mendhar and 88-Poonch Haveli were quoted as ready examples and the deviations pointed out have been corrected, yet from the closer look at the Working Papers 2-6 would reveal that in most of cases geographical compactness, facilities of communication and convenience to the public spelt out in Section 60 (supra) have not attracted any consideration. The constituencies have been demarcated, areas joined and areas annexed with least regard for these factors and for reasons other than permissible under settled norms. To point out Anantnag west has annexed with it Imoh PC and Sahib Aabad previously part of now fragmented Shangus - Anantnag constituency about 40 Km from headquarter of the 43-Anantnag West. Same is the case with Kishtwar where Muchater PC and Balgran PC closer to Inderwal is annexed with 49- Kishtwar. 5-Handwara is another case in point. The part of Handwara Tehsil is sliced away and annexed with another Assembly Segment and Drugmulla Tehsil previously part of 3- Kupwara is joined with 5- Handwara. Similar treatment is given to 74-RS Pora – Jammu South and 22 – Sonawar where PCs from middle of other Assembly segments have been picked joined with other Assembly Segments. The 41- Dooru, the constituency with largest population 192381– and a large area as well. The Assembly Segment qualifies for an additional constituency. Most of the Assembly segments present the same storey. The Assembly segments are mentioned only to illustrate the departure and deviation from the settled norms. The Hon'ble Commission has in disregard of law carved out islands within and from the middle of the Assembly segments and annexed with far away Assembly segments without any proximity or connectivity. The details herein are only to illustrate the pattern of departure from set practices and universally followed norms and does not cover all the segments.
23. The two Provinces / Divisions of Jammu and Kashmir are contiguous separated by mighty Pir Panjal range and other mountains of The Lesser Himalayas. Both the Divisions have similar terrain and topography and almost equal share of predominantly hilly and difficult areas. The hilly and difficult areas cannot be selectively used to the advantage of one Division and increase its representation and disempower and disenfranchise the other Division. The people on other side of Lesser Himalayas and small valleys within the range are exposed to similar hardships like lack

of adequate communication and connectivity as in the Districts placed in -10% category. To illustrate population in MatiGawran, AhlanGadole, Kapran, Hapatnar, Lidroo, Frislan, Lehendajan, Chimran, Kachiwan, Chaugam and scores of other remote areas of Anantanag is victim to immense hardship as regards means of communication, civic amenities, entitling the district to be categorized as -10% or at least average category. The entire Shopian district overlooked by mighty Pir Panjal with the toughest terrain and difficult and remote areas with little or no communication like Devpora, Heerpora, Kirchapathri, Dachnoo, GorsinarJampathri and Saimarg, ChakhrinooriKathhalan and other areas, has been placed in +10% category, making it unfair and discriminatory. Same is true about Baramulla. With 100 km long LoC and remote areas HawaMarkoot, Kitri Dajan, and interior areas of Rafiabad, Bijhama, Kamal Kot, Nambla, Uri, interior areas of Boniyaar, Kandi, Kakawthal, with little or no communication, and hardship faced by a large segment of population near LoC getting uprooted day in and day out, the Baramulla district deserved to be placed in -10% category. The Budgam district has also not received fair deal in the Paper-1 proposals. The Hon'ble Commission has failed to realise that most of the district comprises of hilly and mountainous areas below and overlooked by Tosmaidan and remote areas with tough terrain in Khag, Beerwah, Khan Saheb, GogjiPathri. The district has been surprisingly placed in +10% category when it ought to have been in -10% category or at least in average category. The categorization and criteria set out in Paper-1 followed to make such exercise is therefore arbitrary, unfair and selectively used. The result is gross injustice to the Kashmir Division unless correctional measures are taken. We have voiced our concern in the meeting dated 20thDecember, 2021 and submitted that the proposal offends core criteria observed in such exercise.

PARLIAMENTARY CONSTITUENCIES

24. The propose delimitation of the Parliamentary Constituency Anantnag and the Draft Proposal may be without a parallel in the history. No where in such an exercise two geographically different regions separated by one of the highest mountain ranges inaccessible for most of the year must have been ever joined to form one constituency ignoring fundamental principles of congruity, connectivity, convenience and compact area as required under law. The Draft as regards other two parliamentary constituencies of Srinagar and Baramulla also does not have regard to the fundamental principles of delimitation.
25. What can be more shocking example of unrealistic, illogical and irrational demarcation of a Parliamentary Constituency than that of 3-Anantnag Constituency. The Hon'ble Commission has joined Anantnag, Kulgam and Zainapora from Shopian District with Poonch and Rajouri Districts without any regard for the terrain, geography, connectivity, accessibility, and overall

convenience. The Hon'ble Commission has not in the least considered that Anantnag, Kulgam and Zainpora are separated by mighty Pir Panchal Range and the area are in- accessible for half the year because of heavy snowfall. The draft proposal makes no sense looking from any angle. The only result would be huge hardship to the people of Poonch, Rajouri and also far flung areas of south Kashmir. Redrawing of boundaries of Srinagar and Baramulla depicts similar indifference to the guiding principles of compactness, contiguity and connectivity while making delimitation exercise. Shopian has been made part of Srinagar Constituency and Budgam and Beerwah part of Baramulla in utter disregard of the settled guiding principles and to huge inconvenience of the people.

26. The Hon'ble Commission has restored some of the names of huge historical importance. Working Paper 1-6 shockingly obliterates a number of Constituencies of historical importance. However justice remains to be done to Amirakadal, Zadibal, Sangrama, Gulmarg, HomShaliBugh, Batmaloo, Gandhi Nagar are made to disappear and completely obliterated unmindful of their emotional value and importance. Amira Kadal makes us remember the name of Governor Amir Khan who has made significant contribution to architecture and urban development. It is shocking when efforts are being made to restore old names of cities and towns in the Country, a conscious effort is being made to obliterate and remove history and culture of Jammu and Kashmir. The names of places, towns and cities are symbols of culture and history and deserve to be respected. The constituencies therefore must be restored.
27. The Hon'ble Commission has made the exercise seemingly on perusal of maps without visiting different parts of north Kashmir, South Kashmir, central Kashmir, Pir Panchal, Kathua and other district and sub district headquarters. The Hon'ble Commission did not meet and interact with cross section of people and civil society groups across Jammu and Kashmir and the draft does not reflect the aspirations and views of the general public.
28. That non application of mind is as submitted in earlier responses writ large on the Working Paper 1-6 as must be clear from the submissions made above and the proposals therefore deserve to be withdrawn and whenever permissible under the Constitution a fresh look given to it after wider consultation and interaction with all sections of society.
29. That the Working Paper 1-6 proposals for the reasons set out in preceding paras and for the reasons that may be submitted hereafter are not acceptable and should not be acted upon as these would result in grave injustice to every segment of the population and also violate the fundamental principles that govern the delimitation exercise and are to be abided by the Hon'ble Commission.
30. That we reserve the right to make further oral and written submissions in support of the submissions made above.

31. That this dissenting proposals / memorandum / objections along with annexures be kindly taken on record and published with the draft proposal.

In the premises and having regard to the submissions made and the annexures enclosed and the submissions to be made as and when the Hon'ble Commission may be pleased to allow, it is respectfully prayed:

That Hon'ble Commission having due regard to the cogent and convincing submission made in paras 1 to 31 above may be pleased to stop the Delimitation exercise forthwith pending final adjudication and disposal of the batch of writ petition questioning Vires and constitutional validity of Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019.

The draft proposal made in Working Paper 1-6 proposing demarcation of the Assembly Constituencies and Parliamentary constituencies be withdrawn without acting upon the proposals in any manner or proceeding ahead in the matter.

With Regards.

Dated:04/03/2022

Sd/-

Dr.Farooq Abdullah,
Member of Parliament, Srinagar Lok Sabha Constituency.

Sd/-

Mr.Mohammad Akbar Lone,
Member of Parliament, Baramulla Lok Sabha Constituency.

Sd/-

Mr.Hasnain Masoodi,
Member of Parliament, Anantnag Lok Sabha Constituency.

**Chairperson
Delimitation Commission
3rd Floor, The Hotel Ashok
Chankyapuri, New Delhi. 110021**

Subject: Dissenting Proposal regarding Assembly/Parliamentary Constituencies of UT of Jammu Kashmir.

Hon'ble,

W.r.t your letter No. 282/J&K/2022 (DEL) Dated 25th February, 2022, I am forwarding revised proposal having suggestions regarding delimitation of the Assembly segments.

I humbly request the Delimitation Commission to consider the following suggestions:

- The newly proposed "Anantnag-Rajouri" Parliamentary seat may please be named as "Anantnag-Poonch" Parliamentary Seat.
- "Shopian" Assembly segment falls between Anantnag & Rajouri Poonch, therefore Shopian may please be included in Anantnag Rajouri Parliamentary seat & "Bijbehra" Assembly segment may please be included in Srinagar Parliamentary seat as it is very adjoining to Srinagar.

District Jammu

- 1- The "Bahu" Assembly segment should be renamed as "Bahu Lochan" Assembly segment.
- 2- The "Jammu East" assembly segment should be renamed as "Jammu Tawi" Assembly Segment. The river Tawi flows through the Jammu City. It is a sacred river and people have great faith in the river. Considering the sentiments this seat may be renamed as "Jammu Tawi" seat.
- 3- The "Jammu North" Assembly segment should be renamed as "Muthi-Domana" Assembly segment.
- 4- The "Maira Mandarian" & "Chowki Choura" Tehsils may kindly be excluded from Khour Assembly Segment and to be included in Akhnoor Assembly segment.
- 5- The "Pargwal" tehsil may kindly be excluded from Akhnoor Assembly segment and to be included in Khour Assembly Segment.

District Samba

- 1- The "Katli" PC may be excluded from Ramgarh Assembly segment and to be included in Samba Assembly Segment.

2-The "Rajpura" Tehsil to be excluded from Ramgarh Assembly segment and to be included in Samba Assembly Segment.

District Rajouri

1-The "Darhal" Assembly segment may please be renamed as "Budhal Assembly" Segment.(Tehsil Kotranka & Tehsil Khawas)

2-The "Darhal" Tehsil may kindly be excluded from Darhal Assembly Segment and included in Thanamandi Assembly Segment.

3- The "Fahtehpur" PC may be excluded from Rajouri Assembly segment & included in "Thanamandi" Assembly segment.

Respected,

In reference to the letter no. 282/J&K/2022(DEL) dated: 25/02/2022, my note of dissent may be published along with the draft proposal of the Commission.

Thanking You,

Yours Sincerely,

Sd/-

Jugal Kishore Sharma
Member of Parliament
Lok Sabha, Jammu.